लड़ेंगे जीतेंगे

जंगल और जीविका के लिए गूंजे छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में प्रतिरोध के स्वर

कलेक्टिव
फरवरी 2024

कोयला लोहा बॉक्साइट के साथ
कई गांवों को लादकर वह ट्रक
जो रोज़ शहर की और जाता है
अब सिर्फ वहीं मेरे गांव का
असली पता बताता है।

- जसिंता केरकेट्टा, *ईश्वर और बाज़ार* (कवितांश)

विषय-सूची

शब्दावली ... 4

1. एशिया के सबसे अमीर आदमी के खिलाफ़ ... 5

2. खनन के पर्यावरणीय प्रभाव ... 10

   2.1. वन्यजीव ... 11

   2.2. वनस्पति ... 15

   2.3. प्रदूषण और उसका प्रभाव ... 16

3. क़ानूनों से छेड़छाड ... 20

   3.1. विज्ञान आधारित पर्यावरणीय वर्गीकरण को कमजोर करना ... 21

   3.2. स्वीकृति देने की क्रियाविधि का उल्लंघन ... 23

   3.3. खनन स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन ... 25

   3.4. वन अधिकार क़ानून 2006 और पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) क़ानून, 1996 का उल्लंघन ... 28

4. मुनाफ़े की राह पर अडानी ... 31

परिशिष्ट क: क्रोनोलॉजी समझिए ... 39

परिशिष्ट ख: नोट्स ... 42

9936835242@paytm

कलेक्टिव

क्रन्तिकारी छात्र - युवा संघर्ष तेज़ हो!

collective-india.com

8879215570 (शौर्य) / 8884115925 (शलोम)

सहयोग राशि

₹20

शब्दावली

AEL - अडानी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड
BJP – भारतीय जनता पार्टी
CECB - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
CFR - सामुदायिक वन अधिकार
CM – मुख्यमंत्री
CPR – सेन्टर फ़ॉर पॉलिसी रिसर्च
EC - पर्यावरण निर्गमन
EIA – पर्यावरण प्रभाव आकलन
FAC – वन सलाहकार समिति
FC - वन निर्गमन
FIR - प्राथमिक सूचना रिपोर्ट
FRA - वन अधिकार क़ानून, 2006
FSI - भारतीय वन सर्वेक्षण
GCF - सकल तापवर्धन मूल्य
GW – गीगावॉट
HABSS - हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति
HACF – हसदेव आरण्ड कोयला क्षेत्र
ICFRE - भारतीय वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
IFR - व्यक्तिगत वन अधिकार
INC – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
IUCN - अन्तर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ
MOD - खनन प्रचालक
MoEFCC - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
NDA – राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन
NGT - राष्ट्रीय हरित अधिकरण
OB – अतिरिक्त भार
PEKB - परसा ईस्ट एवं केते बासेन
PESA - पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) क़ानून, 1996
PIL - जनहित याचिका
PKCL - परसा केते कॉलिरिज लिमिटेड
PM – प्रधानमंत्री
RRT - त्वरित प्रतिक्रिया टीम
RRVUNL - राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
RTI – सूचना का अधिकार
SECL - साउथ् ईस्टर्न कॉलफिल्ड्स लिमिटेड
SKM - संयुक्त किसान मोर्चा
UPA – संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
WII - भारतीय वन्यजीव संस्थान

1. एशिया के सबसे अमीर आदमी के खिलाफ़

21 दिसंबर 2023, सुबह 4 बजे जयनंदन सिंह पोर्ते को छत्तीसगढ़ पुलिस ने सरगुजा जिले के घाटबर्रा गाँव स्थित उनके घर से उठा लिया। पोर्ते देश के सबसे बड़े एवं घने जंगल हसदेव अरंड के किनारे पर स्थित इस गांव के सरपंच है। मध्य-भारत के सबसे पुराने जंगला हसदेव अरंड का फैलाव मुंबई शहर के तिगुने क्षेत्र, 1.5 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। उनकी गिरफ़्तारी के 72 घंटों के भीतर, भारत के 15,000 से अधिक सबसे पुराने पेड़ काट दिए गए, इसके बाद 2.3 लाख पेड़ और काट दिए गए। घाटबर्रा, फ़तेहपुर और साल्ही में 91 हेक्टेयर ज़मीन, जो लगभग 58 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, इस जंगल-कटाई के दायरे में है।

साल 2012 में जब अड़ानी को इस क्षेत्र में कोयला खोदने के लिए हरी झण्डी मिली, तब घाटबर्रा ही वह पहला गाँव था जिसने अडानी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड (AEL) से अग्रिम भुगतान लेने को मना कर दिया था। ये उस दौर की बात है, जब भारतीय अमीर इंसानों की फ़ेहरिस्त में अड़ानी सोलहवें स्थान पर था। हालाँकि अब वह छलांग मार कर एशिया का सबसे अमीर इंसान बन गया है। पोर्ते ने अपने 'हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति' (HABSS) के बाक़ी साथियों के साथ मिलकर, साल 2021 में हुए पंचायत चुनावों के लिए 'अडानी प्रोजेक्ट को हराओ' के नारे के साथ लोगों का समर्थन हासिल किया और पंचायत का चुनाव जीते।

इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए पड़ौस के गाँव फ़तेहपुर निवासी नंदकुमार बताते है कि कैसे छत्तीसगढ़ को अपना पहला आदिवासी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के विशु देव साई मिलने के अगले हफ़्ते ही इस क्षेत्र को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। उसी दिन, साल्ही गांव के रामलाल करियाम पर एक FIR दर्ज की गई, करियाम HABSS से सम्बंधित तीसरे इंसान है जो FIR का सामना कर रहे है।

ये घटनाएँ हसदेव अरंड के जंगलों को बचाने के लिए हुए संघर्षों के लंबे इतिहास में जुड़े

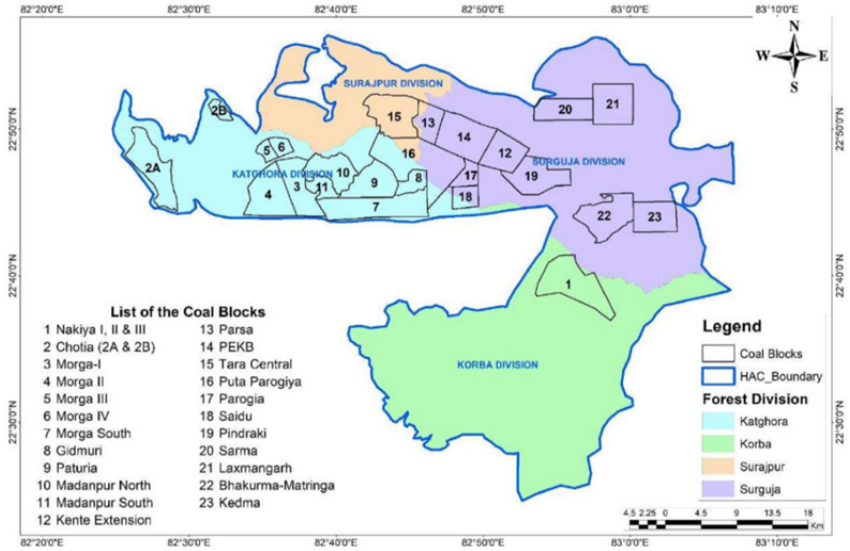

चित्र 1.1. हसदेव अरण्ड वन क्षेत्र के कटघोरा, कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा डिवीजन में 23 कोयला ब्लॉकों की पहचान की गई है (ICFRE 2014)

नए अध्याय हैं। कहानी 2007 में शुरू होती है, जब छत्तीसगढ़ के हसदेव अरंड क्षेत्र में स्थित परसा ईस्ट एवं केते बासेन (पीईकेबी) कोयला क्षेत्र को केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RRVUNL) को आवंटित किया था। उसी साल, RRVUNL ने अड़ानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम - पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड (पीकेसीएल) का गठन किया, जिसमें अड़ानी नी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड की 74% और RRVUNL की 26% हिस्सेदारी है। ठीक इसी समय दूसरी तरफ इस क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को लेमरू हाथी आरक्षित क्षेत्र में परिवर्तित करने की भी तैयारी थी, जो देश के प्रमुख 'एलिफेन्ट कॉरिडोर' में शामिल रहा है।

सरगुजा और सूरजपुर जिलों में अनुसूचित जनजातियाँ कुल जनसंख्या का लगभग 55% हैं, उनमें से प्रमुख तौर पर अगरिया, गोंड, बिंजवार, मंझवार, पहाड़ी कोरवा, पंडो, रजवार, नाई, तेली, नगेसिया, ओराँव, बैगा, कंवर, पनिका और दंड कोरवा लोग यहाँ रहते आए हैं। उनकी आजीविका का बड़ा स्रोत खाद्य वानस्पति, पशु-चारा, औषधीय वनस्पति और शहद और अन्य गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर निर्भर करता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार जंगल में रहने वाले लोगों की औसतन मासिक आय का 46% हिस्सा वन-उत्पादों (स्व-उपभोग के बाद बचे) को बेच कर मिलता हैं (WII 2014)। उनका प्राथमिक व्यवसाय कृषि है, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 97% आबादी दो-फसलीय धान की खेती और अन्य संबद्ध आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। गड्ढों और तालाबों में इकट्ठा हुए मानसून के पानी का उपयोग वे सिंचाई के लिए करते हैं। सर्वेक्षण में शामिल 87% आबादी के पास गाय-भैंस, बकरी, भेड़, सुअर जैसा पशुधन था। इनमें से अधिकांश पशुधन चरने के लिए जंगलों पर निर्भर हैं।

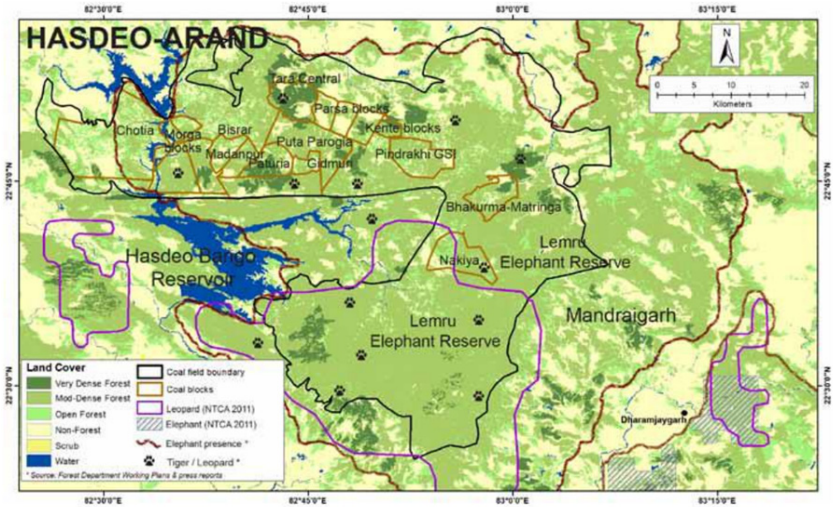

चित्र 1.2. हसदेव अरंड क्षेत्र में वन घनत्व और भूवैज्ञानिक विशेषताओं को दर्शाता मानचित्र (HABSS 2014)

छत्तीसगढ़ का फेफडा कहलाने वाले हसदेव अरण्ड को महज़ एक कम्पनी 'अड़ानी समूह' के मुनाफ़े के लिए खोला गया है, जिसके पास वर्तमान में इस क्षेत्र में दो और कोयला ब्लॉक (परसा कोयला ब्लॉक और केते विस्तार कोयला ब्लॉक) हैं और पीईकेबी परियोजना के तहत उन्हें खनन का विस्तार करने की स्वीकृति मिली है।

S. No.	Name of Coal Block	Forest Area (Ha)	Non-forest land (Ha)	Total Area (H)
1.	Parsa	841.538	410.909	1252.447
2.	ParsaEastandKeteBasan	1898.328	812.706	2711.034
3.	KeteExtension	1745.883	16.956	1762.839
	Total	**4485.749**	**1240.571**	**5726.32**

चित्र 1.3. हसदेव अरण्ड के परसा, पीईकेबी और केटे एक्सटेंशन ब्लॉक में कोयला खनन के लिए स्वीकृत किया गया वन और गैर-वन क्षेत्रफल (MoEFCC 2018b)

इन कोयला ब्लॉकों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में, सरकार-अडानी गठजोड़ ने स्पष्ट रूप से एक कंपनी का पक्ष लेने के लिए कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 लाकर वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के प्रावधानों को कमजोर कर दिया, साथ ही साथ पारिस्थितिकीविदों और संरक्षण विशेषज्ञों द्वारा उपयोग की जाने वाली वैज्ञानिक श्रेणियों को कमजोर कर दिया। सरकार ने खनन के लिए तय की गई अपनी शर्तों का उल्लंघन करके हसदेव अरंड क्षेत्र में रहने वाले लाखों आदिवासियों के अधिकारों और आजीविका को खतरे में डाल दिया है। परसा कोयला ब्लॉक के विस्तार के प्रस्ताव को देखते हुए कह सकते हैं, दिन-ब-दिन स्थिति और खराब होनी तय है। एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्युशर्स के हालिया पत्र, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड एक मुख्य सदस्य है, इस क्षेत्र में और अधिक कोयला ब्लॉक खोलने का अनुरोध करता है, इससे साफ़

S.No.	Name of Coal Mine	State	District	Successful Bidder / Allottee	Vesting order/ Allotment order date	Mine Opening Permission	Actually Producing
1	Chotia	Chhattisgarh	Korba	Bharat Aluminium Company Ltd.	23-03-2015	Yes	Yes
2	Parsa	Chhattisgarh	Sarguja and Surajpur	Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.	08-09-2015	Yes	No
3-4	Parsa East & Kanta Basan	Chhattisgarh	Sarguja and Surajpur	Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.	31-03-2015	Yes	Yes
5	Madanpur South	Chhattisgarh	Korba	Andhra Pradesh Mineral Development Corporation Ltd.	29-09-2016	No	No
6	Kente Extension	Chhattisgarh	Sarguja	Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.	31-03-2015	No	No

चित्र 1.4. छह कोयला ब्लॉकों को खनन के लिए स्वीकृति दी गई है, जिनमें से दो चालू हैं। (RS 2023)

मालूम चलता है वर्तमान में जिन कोयला ब्लॉकों पर विवाद चल रहा है खनन समूह की महत्वाकांक्षाएँ यहाँ तक विस्तार के साथ समाप्त नहीं होगी।

हसदेव अरण्ड क्षेत्र के अत्यधिक पारिस्थितिक महत्व के साथ-साथ पर्यावरणीय नियमों के गंभीर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए, चाहे वह खुले तौर पर हो या अन्दरखाने। इस रिपोर्ट का उद्देश्य HABSS के नेतृत्व में सरकार-कम्पनी गठजोड़ को चुनौती दे रहे इस पर्यावरणीय-जनसंघर्ष के महत्व को समझने के लिए एक पूरी तस्वीर देना है। इस अध्ययन को करने के दौरान, हमने घाटबुर्रा, फ़तेहपुर और साल्ही गांवों के ग्रामीणों के मौखिक बयान लिए और साथ ही हरिहरपुर में HABSS के धरना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों के साथ समूह चर्चा की, विशेष रूप से संघर्षरत आदिवासी महिलाओं के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित किया। हमने इन बयानों को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए आंदोलन में शामिल कई वकीलों, नागरिक समाज कार्यकर्ताओं और विभिन्न राजनीतिक जत्थेबंदियों से भी बात की। हम इस अध्यापन में भाग लेने वाले सभी लोगों द्वारा दिए गए सहयोग के आभारी हैं।

रिपोर्ट के अध्याय 2 ('खनन के पर्यावरणीय प्रभाव') में क्षेत्र की पर्यावरणीय सेहत पर खनन गतिविधियों के गंभीर प्रभाव को उजागर करने के लिए अदालत द्वारा नियुक्त दो निकायों से लिया गया है। अध्याय 3 ('क़ानूनों से छेडछाड') वनों पर आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए स्थापित पर्यावरण अध्ययनों, कानूनों, संवैधानिक तंत्र को कमजोर करने के लिए सरकार-कंपनी गठजोड़ द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीकों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इन तथ्यों की जाँच और उजागर करने में, हमारा लक्ष्य यह बताना है कि कैसे प्रशासन, नौकरशाह और यहाँ तक कि न्यायाधीश भी अपने संवैधानिक कर्तव्यों के पालन के बजाय निरंकुश कॉर्पोरेट शक्ति के सामने बार-बार झुकते रहे हैं। अध्याय 4 ('अडानी के मुनाफे की राह') उन विभिन्न तरीकों के बारे में बताता है जिनमें हसदेव के जंगलों को कोयला खनन के लिए खोलने की दिशा में एक विशेष कॉर्पोरेट समूह का पक्ष लिया गया है। यह अध्याय यह भी दर्शाता है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोली में कई विकल्प उपलब्ध थे जिन्हें एक विशेष कॉर्पोरेट घराने, अर्थात् अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया था। परिशिष्ट क हसदेव जंगलों को बचाने के लिए हो रहे जनसंघर्षों के घटनाक्रम के साथ-साथ महत्वपूर्ण कामयाबियों का आसान और सुलभ सारांश प्रदान करता है। परिशिष्ट ख में इस रिपोर्ट को तैयार करते समय काम में आए दस्तावेजों की संदर्भ-सूची शामिल है।

2. खनन के पर्यावरण पर प्रभाव

हसदेव आधिकारिक वर्गीकरण के अनुसार 'बहुत घने' और 'मध्यम घने' जंगलात वाला क्षेत्र है। वन क्षेत्र का लगभग 80% अच्छी गुणवत्ता वाले जंगलों से ढका हुआ है (लगभग 1176 वर्ग किमी में 40% से अधिक का 'कैनोपी कवर'* साथ ही साथ अतिरिक्त 116 वर्ग किमी में 70% से अधिक का 'कौनोपी कवर' है)।[11]

हसदेव जंगलों में खनन परियोजनाओं के जन-विरोध का एक प्राथमिक कारण खनन का छत्तीसगढ़ राज्य और पड़ोसी क्षेत्रों पर पड़ने वाला प्रभाव है। इन परियोजनाओं के लिए कई बार पर्यावरणीय स्वीकृति देने से इनकार किया गया है, फिर भी जैसा कि हम अध्याय 3 में दिखाएंगे, केंद्र और राज्य सरकारों ने एक खास कम्पनी अड़ानी नी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को लाभ पहुंचाने के लिए अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को उलट दिया है।

साल 2011 में परियोजना के लिए PEKB में 1,898.328 हेक्टेयर वन भूमि के रूपांतरण के शुरुआती प्रस्ताव पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक वैधानिक संस्था वन सलाहकार समिति (FAC) द्वारा विचार किया गया और प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। इसके बावजूद, तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने अपने ही मंत्रालय की सलाह के ख़िलाफ़ जा कर PEKB ब्लॉक में खनन के पहले चरण के लिए मंजूरी दे दी। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने तर्क दिया कि ये ब्लॉक घने जंगलों वाले हसदेव अरण्य क्षेत्र के 'सीमांत क्षेत्र' पर स्थित थे और 'व्यापक विकास की तस्वीर को ध्यान में रखने और विभिन्न उद्देश्यों और विचारों

[1] अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट (एटीआरईई), बैंगलोर में इको-इंफॉर्मेटिक्स लैब द्वारा जीआईएस विश्लेषण किया गया।

के बीच संतुलन के लिए' FAC की सिफारिशों को जयराम रमेश ने खारिज कर दिया था।

2012 में इसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के समक्ष चुनौती दी गई थी, जो पर्यावरण से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर त्वरित निर्णय लेने के लिए एक वैधानिक संस्था है। साल 2014 में NGT ने देहरादून स्थित वैज्ञानिक संस्थानों- भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को हसदेव अरण्ड क्षेत्र में खनन के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने का निर्देश देते हुए खनन लाइसेंस पर रोक लगाने का आदेश दिया (NGT 2014)। हम आगे भी बताएँगे की, WII और ICFRE के सर्वेक्षणों से हमें पता चलता है कि ये कोयला ब्लॉक घने जंगलों वाले हसदेव अरण्य क्षेत्र के 'सीमांत क्षेत्रों' में स्थित नहीं हैं। हम अध्याय 4 में यह भी दिखाएंगे कि 'व्यापक विकास की तस्वीर' के लिए पर्यावरण-सम्पदा से भरपूर हसदेव अरण्ड क्षेत्र में खनन के विकल्प के तौर पर कई दूसरे गैर-जीवाश्म और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी उपलब्ध है। इन ग़ैर-जीवाश्म एवं नवीकरण विकल्पों पर पर RRVUNL ने चर्चा तो की थी लेकिन महज़ एक कम्पनी अड़ानी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड के लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से इसे खारिज कर दिया गया था।

नीचे WII-ICFRE द्वारा PEKB क्षेत्र में किए गए अध्ययन रिपोर्ट के मुख्य बिन्दुओं की लिस्ट है

कैनोपी कवर: कैनोपी कवर जंगलात क्षेत्रों की सघनता को समझने का एक मात्रक है, इसमें पेड़ो के ऊपरी भाग द्वारा ढके गए भाग को मापा जाता है।

2.1. वन्यजीव

हसदेव अरंड वन क्षेत्र पर 25 से भी अधिक स्तनधारी प्रजातियों की निर्भरता है, जिनमें कई लुप्तप्राय और असुरक्षित प्रजातियां शामिल हैं।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	IUCN RED सूची *
अनुसूची 1: 9 प्रजातियाँ	लुप्तप्राय: 2
अनुसूची 2: 10 प्रजातियाँ	असुरक्षित: 5
अनुसूची 3: 4 प्रजातियाँ	संकटग्रस्त के करीब: 3
अनुसूची 4: 2 प्रजातियाँ	असंकग्रस्त: 15

चित्र 2.1. हसदेव अरण्ड क्षेत्र में पाई जाने वाली स्तनधारी प्रजातियाँ (WII 2021: 167)

* इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने संकटग्रस्त प्रजातियों की पूर्व-समीक्षित RED सूची प्रकाशित की है।

इनवर्टेब्रेट, हर्पेटोफ़ुना, छोटे पक्षी और सहभागी-स्तनधारी प्रजातियाँ जो परागण, प्राकृतिक कीट-नियंत्रण, आदि के माध्यम से कृषि-चारागाह क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है, खाद्य श्रृंखला के लिए ज़रूरी इनकी भी खनन से प्रभावित होने की संभावना है।

खनन के कारण क्षेत्र में मानव-पशु संघर्ष में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों की जान चली गई, फसलें और घर नष्ट हो गए और क्षेत्र में अनुसूची 1 प्रजातियाँ और अधिक खतरे में पड़ गईं।

हाथी:

- छत्तीसगढ़ में भारत के जंगली हाथियों का सिर्फ एक प्रतिशत है लेकिन रिपोर्ट की गई मौतों का 15% यहाँ से है। (हर साल 60 इंसानों की जान जाती है)
- वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2014-'15 और 2018-'19 के बीच 325 लोगों की जान गई है और 117 मामले घायल होने के सामने आए हैं।
- इसी समय के दौरान वन विभाग को मुआवज़े के तौर पर 65.75 करोड़ रुपए चुकाने पड़े हैं।
- हसदेव क्षेत्र से हाथियों के झुंड के तितर-बितर होने से पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड में भी संघर्ष बढ़ जाता है। हसदेव क्षेत्र झारखंड के गुमला जिले से छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले तक हाथियों के प्रवास के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में कार्य करता है।

स्लॉथ भालू:

- उत्तरी छत्तीसगढ़ के महासमंद और कोरबा ज़िले में मानव-भालू टकराहटों के मामले बढ़े हैं।
- भालुओं के बढ़ते डर से शिक्षा भी प्रभावित हो रही है क्योंकि छात्रों को अक्सर अपने स्कूलों तक पहुंचने के लिए सुनसान सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है।
- वन क्षेत्रों के विखंडन (जंगलों का टुकड़ों-टुकड़ों में बँट जाना) से भालू और अन्य जानवरों के प्रवासन और गतिशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- स्लॉथ भालू पहले से ही एक संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसका अवैध शिकार किया जा रहा है (स्थानीय उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी दोनों के लिए)। आरक्षित वन क्षेत्रों में मनुष्यों की बढ़ती पहुंच जोखिम को और बढ़ाती है।

हसदेव अरंड क्षेत्र में केवल हाथी और भालू ही संकटग्रस्त प्रजातियाँ नहीं हैं। बताया गया है कि भारत में मारे गए चीतों में से आखिरी चीते सरगुजा के जंगलों में ही मौजूद थे। इसके अलावा, हसदेव जंगलों के पश्चिम में स्थित अचानकमार, कान्हा, संजय और अन्य मध्य भारतीय बाघ अभ्यारण्यों के बीच मजबूत आवास कनेक्टिविटी के कारण इस क्षेत्र को बाघों की पुन: वापसी के लिए एक संभावित गलियारे के रूप में पहचाना गया है। पारिस्थितिक रूप से अन्य आवासों के समान, यह जंगल संभावित रूप से 10-15 बाघों का आश्रय बन सकता है यदि उंगुलेट (खुरों वाले जानवर) का शिकार, आवास कनेक्टिविटी और मानव-वन्यजीव संघर्ष को सही समय पर समाप्त करने की शर्तों को पूरा किया जाता है।

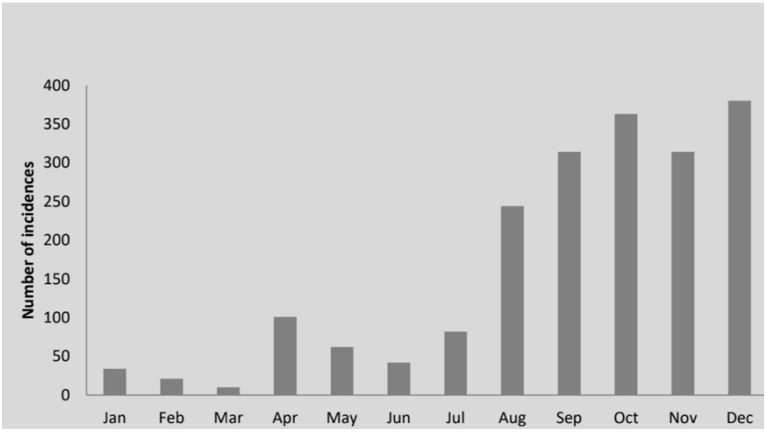

चित्र 2.2. 2015 और 2018 के बीच मासिक फसल नुक़सान। (WII 2021: 56)

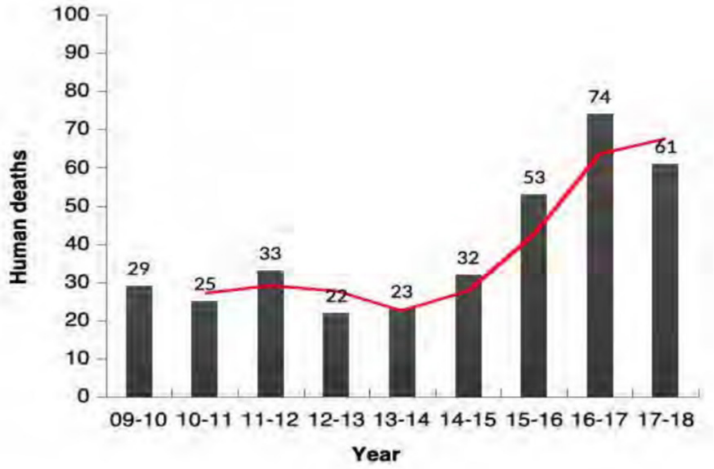

चित्र 2.3. 2010 और 2018 के बीच हुई इंसानी जानहानी। (WII 2021: 56)

पक्षियों की संख्या पर्यावरण की गुणवत्ता का एक अच्छा संकेतक माना जाता है। पक्षी ही उष्णकटिबंधीय जंगलों में बीज वितरण और परागण का महत्वपूर्ण काम करते हैं। कीटभक्षी पक्षी पत्तेदार आर्थ्रोपोड्स के प्रभाव को कम करके पेड़ के विकास को भी प्रभावित करते हैं। हसदेव में 44 से अधिक फ़ैमिली की कुल 92 पक्षी प्रजातियाँ दर्ज की गईं, जिनमें से कई प्रवासी पक्षी भी देखे गए हैं।

- इन 92 में से छह वन्यजीव अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित हैं, जिनमें व्हाइट-आइड बज़र्ड, क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, शिकरा, ब्लैक-विंगर काइट, ब्लैक ईगल और ब्लैक काइट शामिल हैं।
- उनमें से 19 की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित है।
- जबकि 74 निवासी प्रजातियाँ हैं, चार ग्रीष्मकालीन प्रवासी हैं और 14 शीतकालीन प्रवासी हैं।
- 12 प्रजातियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानीय हैं।

S.No	Scientific/Common Name	IIFM 2009		WII 2020	Conservation Status	
		CZ	BZ		IUCN	WPA
1. Butterfly*						
1	*Hypolimnas misippus* Danaid eggfly*			✓*		Sch II
2	*Charaxes bernardus* Tawny Rajah*			✓*		Sch II
2. Reptiles						
3	*Python molurus* - Indian rock python	✓	✓			Sch-I
4	*Varanus bengalensis* -Bengal Monitor Lizard **			✓		Sch-I
3.Terrestrial Birds						
5	*Accipiter badius* - Shikra	✓	✓	✓		Sch-I
6	*Aquila rapax* - Tawny Eagle		✓			Sch-I
7	*Butastur teesa* - White-eyed Buzzard*			✓		Sch-I
8	*Elanus caeruleus* - Black-shouldered Kite	✓	✓	✓		Sch-I
9	*Ictinaetus malaiensis*-Black Eagle			✓		Sch-I
10	*Milvus migrans* - Black Kite	✓	✓	✓		Sch-I
11	*Spilornis cheela* - Crested Serpent Eagle	✓	✓	✓		Sch-I
12	*Spizaetus cirrahatus* - Changeable Hawk Eagle	✓	✓			Sch-I
13	*Pavo cristatus*- Indian Peafowl		✓			Sch-I
14	*Ocyceros birostris* - Grey hornbill	✓	✓			
4. Mammals						
15	*Elephas maximus* - Elephant	✓	✓	✓	En	Sch I
16	*Melursus ursinus* - Sloth bear		✓	✓	Vu	Sch I
17	*Tetracerus quadricornis* - Four-horned antelope			✓	Vu	Sch I
18	*Canis lupus* - Indian grey wolf			✓	Lc	Sch I
19	*Panthera pardus* – Common leopard			✓	Vu	Sch I
20	*Manis crassicaudata* -Indian pangolin			✓	En	Sch I
21	*Lutragale perspicillata* - Smooth-coated otter			✓	Vu	Sch II
22	*Mellivora capensis* - Honey badger			✓	Lc	Sch I
	Total Species	10	13	15		

चित्र 2.4. हसदेव अरण्ड क्षेत्र में पाए जाने वाले संकटग्रस्त जीवों की तालिका (WII 2021: 100-101)
(CZ: Core Zone, BZ: Buffer Zone, Vu: Vulnerable, En: Endangered, Lc: Least concern, WPA: Wildlife Protection Act)

Winged guests bracing for final flight

- Asian Open Bill Stork reach Korba in May and lay their eggs at Kanki
- The birds find their favourite food on the banks of Hasdeo River
- After being trained in flying, they return to their native land, in the first week of October

■ **Our Correspondent**
KORBA, Sept 23

MIGRATORY birds Asian Open Bill Stork have been visiting Kanki for the past three decades. The birds reach here in the month of May and lay their eggs at Kanki.

According to information, the birds find their favourite food on the banks of Hasdeo River. The offspring feed on these and become healthy. After being trained in flying, they return to their native land, in the first week of October. As the date of departure is drawing near, the little birds can be seen attempting flight on the banks of Hasdeo River.

These birds come from countries of Thailand and Burma, and reach village Kanki, situated at a distance of 30kms from district headquarters. The villagers consider their arrival as a good omen. Several tourists reach the village to see these birds.

This year, the birds had reached Kanki on May 17 and the new offsprings were born in July. The little birds are finding small insects, frogs and other food of their choice on the banks of Hasdeo River.

They are also being trained in flying, so that they may accompany their parents back to their native land. It needs to be mentioned that the local residents take special care for the safety of these migratory birds.

(*डी हितवाडा*, 24 सितम्बर 2020)

क्रेस्टेड सरपेंट ईगल

2.2. वनस्पति

हसदेव अरण्ड क्षेत्र प्रस्तावित खनन करने से साल के लगभग 8 लाख पेड़ नष्ट हो जायेंगे, जिसका असर हसदेव नदी के जलग्रहण क्षेत्र पर भी पड़ेगा। साल 2022 में कोविड-19 महामारी के दौरान 41 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ काटे गए, उसी साल गौतम अडानी की व्यक्तिगत संपत्ति में 46% की वृद्धि दर्ज हुई थी। नवंबर 2023 में अतिरिक्त 93 हेक्टेयर भूमि के लिए मंजूरी दी गई थी। काटे गए पेड़ों की वास्तविक संख्या सरकारी रिकॉर्ड द्वारा प्रदान की गई संख्या से कहीं अधिक होगी क्योंकि उनमें एक फुट से कम मोटाई वाले छोटे और मध्यम पेड़ों के साथ-साथ विभिन्न झाड़ियों को भी शामिल नहीं किया गया है।

पेड़ों की कटाई के अलावा, PEKB ब्लॉक के मुख्य क्षेत्र में कई अन्य पौधों की प्रजातियाँ भी दर्ज की गईं:

- 180 पौधों की प्रजातियों में से 57%।
- फौनल ग्रुप (faunal group) की 23 प्रजातियों में से 91%।
- एविफुना (avifauna) की 82 प्रजातियों में से 71% (किसी विशेष क्षेत्र के पक्षी)।
- मैमेलियन फोना (mammalian fauna) की 12 प्रजातियों में से 66%।

S.No	Family and Scientific Name	Local Name	Habit	Conservation Status (IUCN)
	Acoraceae			
1	*Acorus calamus*	Bach	Herb	Endangered
	Asteraceae			
2	*Peucedanum nagpurense*	Tejraj	Herb	Vulnerable
	Burseraceae			
3	*Boswellia serrata*	Saliha	Tree	Vulnerable
	Celastraceae			
4	*Calastrus paniculata*	Unjain	Woody climber	Vulnerable
	Combrataceae			
5	*Terminalia chebula*	Harra	Tree	Vulnerable
	Dioscoraceae			
6	*Dioscorea bulbifera*	Agitha	Climber	Vulnerable
	Euphorbinaceae			
7	*Phyllanthus emblica*	Awala	Tree	Vulnerable
	Leguminoceae			
8	*Pterocarpus marsupium*	Biju	Tree	Vulnerable
	Liliaceae			
9	*Chlorophytum tuberosum*	Safed musli	Herb	Vulnerable
10	*Gloriosa superba*	Kharha godi, karihari	Herb	Vulnerable
	Sterculiniaceae			
11	*Sterculia urens*	Khurlu	Tree	Vulnerable
	Zingiberaceae			
12	*Costus speciosus*	Kewu, ban haldi	Herb	Vulnerable
13	*Curcuma angustifolia*	Tikhur	Herb	Vulnrable

चित्र 2.4. हसदेव अरण्ड क्षेत्र में पाई जाने वाली संकटग्रस्त वानस्पतिक प्रजातियों की तालिका (WII 2021: 98-9)

2.3. प्रदूषण और उसके प्रभाव

खनन परियोजनाओं से आसपास के क्षेत्रों में गंभीर ध्वनि, वायु, जल और भूमि प्रदूषण होता है। इनमें भारी मशीनरी का उपयोग, तेल और ग्रीस का रिसाव, वॉशरी के लिए पानी का जबरदस्त उपयोग और इतनी बड़ी माला में अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करना शामिल है कि डंपिंग ग्राउंड के रूप में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है।

जल

यह क्षेत्र हसदेव नदी पर हसदेव बांगो जलाशय के जलक्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो महानदी की एक सहायक नदी है और छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इस पर बांगो बांध भी है जो राज्य के धान के कटोरे कोरबा और जांजगीर-चांपा जिलों में लगभग तीन लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराता है।

- भूमि-अधिग्रहण में नदियों, प्रमुख झरनों, नालों और झीलों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों के अधिग्रहण के साथ-साथ छोटे बांधों का निर्माण और प्राकृतिक प्रवाह को मोड़ना भी शामिल है।
- घरेलू उपयोग के लिए पोर्टेबल पानी (फ़िल्टर और उपचारित) के साथ-साथ खनन प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।
- संसाधनों का अत्यधिक दोहन सतही जल व्यवस्था और जल अवधि (मानसून) को प्रभावित कर सकता है।
- खदान और वॉशरी के लिए कुल पानी की आवश्यकता: क्रमशः लगभग 6,880 घन मीटर/दिन और 5,700 घन मीटर/दिन। (EIA report)
- घरेलू उपयोग की आवश्यकता: अनुमानित 615 घन मीटर/दिन वैधानिक अनुमति के साथ नामित ट्यूबवेलों (भूगर्भ-जल) से प्राप्त किया जाना तय है।
- इससे जल में पाये जाने वाली वनस्पति और जीव-जन्तु प्रभावित होंगे जिससे बायोमास और जैव विविधता पर भारी प्रभाव पड़ेगा: प्रमुख नदियों में सतही जल का प्रवाह कम हो जाएगा ठोस और अपशिष्ट पदार्थों को जलधाराओं और नदियों में छोड़ा जाएगा। अयस्क निष्कर्षण के लिए गड्ढों की खुदाई के कारण उत्पन्न तूफान और बारिश के पानी का बहाव बढ़ेगा। यहाँ के निवासी अपने रोज़मर्रा के पानी की ज़रूरतों के लिए नदियों पर आश्रित है, नदियों के प्रदूषण का सीधा प्रभाव। हाँ के समुदाय के स्वास्थ्य और जन-जीवन पर पड़ेगा। PEKB क्षेत्र से जल निकासी कोयला ब्लॉक की उत्तरी सीमा से 2 किलोमीटर दूर एकत्रित की जाएगी, जिससे अटेम नदी (एक बारहमासी नदी) भी प्रभावित होगी।

वायु

- खनन में मोटे तौर पर प्रदूषण करने वाली गैसों (SPM , SO_2 और NOx) निकलने और भूमि सफाई, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्रशिंग, लोडिंग, हौलेज और अन्य यातायात गतिविधियों से भारी मात्रा में हवा में उड़ने वाली धूल/कण पदार्थ (PM) बढ़ेंगे।
- वायु प्रदूषण से पास के जंगलों के जीव-जंतुओं की प्रजातियों की समृद्धि और बहुतायत की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, मुख्य रूप से तितली और एविफ़ुना पर तुरंत और अन्य जीव-समूहों को बाद में प्रभावित करता है।
- हवा में उड़ने वाले बिखरे हुए ठोस (कण) पास के कृषि-आवासों में जम जाएंगे और कृषि की उत्पादकता के साथ-साथ जैव विविधता पर भी प्रभाव डालेंगे।

ध्वनि

- ओपन-कास्ट खनन की प्रक्रिया में शामिल कई गतिविधियों जैसे मशीनरी को लगाना, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, उत्खनन, क्रशिंग/प्रोसेसिंग और अयस्कों के परिवहन + ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग से भयंकर ध्वनि प्रदूषण होता है।
- इसके प्रभाव से क्षेत्र के प्रमुख जीव-जंतु समूहों का सामान्य व्यवहार पैटर्न (भोजन, गतिविधि, आराम और प्रजनन) बदल जाएगा।
- शोर और ज़मीन का कंपन सरीसृपों और ज़मीन पर रहने वाले छोटे स्तनधारियों को गतिविधि

को बाधित करेगा।

यातायात का प्रभाव

नई सड़कों का निर्माण, मौजूदा सड़कों का चौड़ीकरण (प्रगतिशील योजना) और अयस्क की खुदाई, परिवहन के लिए भारी वाहनों और मशीनरी की लगातार आवाजाही से:

- प्राकृतिक आवासों का विखंडन(छोटे-छोटे अलग भागों में बँट जाना) और छोटे स्तनधारियों और हर्पेटोफ़ौना की आबादी का अलगाव जो सड़कों को नहीं पार कर सकते।
- सघन वाहन चालन के कारण हर्पेटोफ़ुना और छोटे स्तनधारियों की सड़क पर मौत होने का ख़तरा रहता है।
- वाहनों की सघन आवाजाही से वन क्षेत्रों में सड़क किनारे स्थित आवासों में पक्षियों और अन्य स्तनपायी प्रजातियों की समृद्धि और प्रचुरता कम हो जाएगी।

हालाँकि कम दूरी पर अयस्क को संयंत्र तक पहुंचाने के लिए खनन परियोजनाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली कन्वेयर बेल्ट प्रणालियों के प्रभाव वाहन-परिवहन की तुलना में कम हानिकारक लेकिन फिर भी यह पुष्प-जीव-जंतुओं के आवासों को प्रभावित करता है, विशेष रूप से निर्माण चरण के दौरान:

- पट्टा-क्षेत्र के बाहर कन्वेयर सिस्टम के निर्माण के लिए घने वन क्षेत्र को साफ़ करना - निवास स्थान और संबंधित जीवों का नुकसान।
- जमीन पर बने कन्वेयर सिस्टम वन्यजीवों और स्थानीय पशुओं की आवाजाही को बाधित करते हैं।
- कन्वेयर बेल्ट मार्ग पर कोयले की धूल का उत्सर्जन वायु प्रदूषण पैदा करता है।

WII (2021) रिपोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि वन-भूमि क्षेत्र में कामगारों की कॉलोनियों की स्थापना से वन संसाधनों और पशु प्रजातियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए कामगारों के आकर बसने से वन-संसाधनों पर दबाव पैदा होने की संभावना है, जैसे कि छोटी लकड़ी और ईंधन की लकड़ी के लिए पेड़ों की कटाई से स्थानीय संसाधन ख़त्म हो जाएंगे। इसके कारण संसाधनों पर हिस्सेदारी को लेकर प्रवासी और स्थानीय आबादी के बीच शत्रुता भी पैदा हो सकती है।

छत्तीसगढ़ में पिछले पांच वर्षों में 70 से अधिक हाथियों की मौत हुई है, पिछले दशक में मानव-पशु संघर्ष में तेजी से वृद्धि हुई है। 29 जनवरी 2024, को सूरजपुर जिले में एक हाथी को तार में फंसा हुआ पाया गया, उसे टुकड़ों में काट कर निस्तारण किया गया। जबकि धुरिया के तीन ग्रामीणों को इस अपराध के लिए वन अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। इस क्षेत्र में मानव-पशु संघर्ष में वृद्धि का कारण सिर्फ प्रकृति नहीं है, बल्कि इसके लिए अन्य मनुष्यों के कृत्यों भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसे कि अड़ानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और सरकार-कंपनीगठजोड़, जो हसदेव क्षेत्र में जानवरों के आवासों की तबाही से मुनाफा कमाते हैं। WII की रिपोर्ट में विभिन्न इन पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करने के लइए कई उपायों का विशेष उल्लेख किया गया है, जिन्हें इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लागू करना होगा। हम इस बिंदु पर जोर देने के लिए WII सर्वेक्षण के

निष्कर्षों को पूरी तरह से दोहराना चाहते हैं (WII 2021:166):

- जंगल जो की जीवों का प्राकृतिक आवास है उसे अलग-अलग टुकड़ों में ना बाँटा जाए ना ही उसके क्षेत्र में कोई कमी की जाए क्योंकि प्राकृतिक आवासों की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। किसी भी अतिरिक्त खनन से प्राकृतिक आवास के नुकसान के कारण मानव-हाथी संघर्ष अप्रत्याशित रूप से उच्च स्तर तक बढ़ जाएगा।
- उचित मेहनताने के साथ ग्रामीण युवाओं को शामिल करके लैंडस्केप-स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीमों (RRT) का गठन आवश्यक है। RRT सदस्यों को हाथियों के व्यवहार और संघर्ष को कम करने की विधियों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र के चुनिंदा क्षेत्रों और आसपास के परिदृश्य में जहाँ मानव-हाथी संघर्ष अधिक है, मोबाइल बैरियर के विवेकपूर्ण उपयोग को सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ इस्तेमाल करने की आवश्यकता है।
- हाथियों के कारण फसल, संपत्ति और अन्य नुकसान के लिए उचित मुआवज़े का समय पर भुगतान होना चाहिए। गांवों द्वारा मुआवजा दाखिल करने और प्राप्त करने की सारी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
- प्राकृतिक आवासों की बेहतरी के लिए सावधानीपूर्वक चयनित स्थानों में सतही जल की उपलब्धता में सुधार करके किया जाए, रिपोर्ट में सुझाए गए पौधों की सूची के आधार पर घास के मैदानों और चारागाह का विकास किया जाए और तटवर्ती इलाकों जैसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म आवासों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है।
- मानव-हाथी संघर्ष प्रकृति में गतिशील रहा है। उपर्युक्त उपायों को पहले छोटे क्षेत्रों में प्रयोग करने की आवश्यकता है और पाबंद में परिणामों का अध्ययन करके इसका विस्तार जा सकता है।

3. क़ानूनों से छेड़छाड़

पिछले एक दशक में, हमारे देश के सरकारी मंत्रालयों, वैधानिक निकायों और अदालतों ने हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र में पर्यावरण और अन्य मंजूरी के मुद्दे को संवेदनशील मुद्दा बना दिया है। राज्य की किसी एक संस्था के प्रयासों से प्राप्त सुरक्षा को, राज्य की ही दूसरी संस्था द्वारा कमजोर कर दिया जा रहा है और इसलिए तेजी से, लोगों का उन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास कम होने लगा है जो कभी कॉरपोरेट बाहुबल और धन शक्ति का मुकाबला करने में सक्षम माने जाते थे।

2014 में एनजीटी ने खनन गतिविधियों पर स्थगन आदेश पारित किया ताकि डब्ल्यूआईआई और आईसीएफआरई द्वारा अध्ययन किया जा सके। एक महीने से भी कम समय के भीतर, सुप्रीम कोर्ट ने MoEFCC के 'अगले आदेश' आने तक स्टे को इस आधार पर रद्द कर दिया कि समीक्षात्मक अध्ययन के लिए क्षेत्र में खनन को रोकने की आवश्यकता नहीं है। इसने क्षेत्र में सभी गैर-खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश दिया लेकिन कोयले के परिवहन के लिए रेलवे लाइन के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई को नहीं रोका गया। वन सलाहकार समिति ने अध्ययन में अपने पैर तब तक खींचे रखे, जब तक कि वन क्षेत्र की मंजूरी एक नियति नहीं बन गई, '*fait accompli*' एक लैटिन शब्द कानून में जिसका इस्तेमाल उस तथ्य को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जिसे अब रोका नहीं जा सकता है।

2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कोयला खनन पर एक निर्णायक फैसला सुनाया, जिसमें पीईकेबी सहित 204 से अधिक खदानों के लिए कोयला-ब्लॉक आवंटन कोरद्द कर दिया गया। अदालत ने कहा कि राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाले आरआरवीयूएनएल जैसे संयुक्त उद्यमों द्वारा निजी खदान डेवलपर और अदानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसे ऑपरेटर को दी गई खुली छूट एक चिंताजनक प्रवृत्ति है और इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, मोदी सरकार के नए कोयला खान (संरक्षण) अधिनियम के साथ, जिसने पीएसयू के साथ या संयुक्त उद्यमों के माध्यम से

निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी की अनुमति दी थी, इस निर्णय को 2015 में पूरी तरह से निष्प्रभावी बना दिया गया था। पीईकेबी, पैरा और केटे एक्सटेंशन को, पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड (PKCL) को पुनः आवंटित किया गया, जोकि अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और आरआरवीयूएनएल का ही एक संयुक्त उद्यम है।

PEKB को मंजूरी देते समय, एमओईएफसीसी ने विशेष रूप से कहा था कि हसदेव अरण्य क्षेत्र के लिए कोई और मंजूरी नहीं दी जाएगी क्योंकि यह क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील है। हालाँकि, 2019 में, वन सलाहकार समिति FAC ने परसा कोयला ब्लॉक में खनन के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी और अंततः अप्रैल 2022 में अंतिम मंजूरी भी दे दी गई।

जिन प्रावधानों को जानबूझकर निष्प्रभावी नहीं किया गया है, उन्हें बस लंबित छोड़ दिया गया है। वर्तमान में पीईकेबी और परसा कोयला ब्लॉकों में पर्यावरण और वन मंजूरी से संबंधित कम से कम 17 अदालती मामले चल रहे हैं। इसके बावजूद, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (CECB) ने दिसंबर 2020 में परसा कोयला खदान स्थापित करने के लिए औपचारिक सहमति जारी कर दी।

3.1. वैज्ञानिक रूप से स्थापित पर्यावरणीय श्रेणियों का खात्मा

पर्यावरणीय श्रेणी

लेमरू हाथी संरक्षित क्षेत्र: छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2005 में हसदेव में एक हाथी रिजर्व स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। MoEFCC ने 2007 में इसे मंजूरी दे दी, लेकिन बाद में खनन लॉबी और भारतीय उद्योग परिसंघ के दबाव में इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया । हसदेव में जनसंघर्ष के दबाव के बाद अंततः 2022 में इसकी पुनः घोषणा की गई (Gupta & Roy-chowdhury 2017)।

'नो-गो' (प्रतिबंधित) क्षेत्र: कोयला मंत्रालय (MoC) और एमओईएफसीसी के 2010 के एक संयुक्त अध्ययन ने पूरे क्षेत्र को कोयला खनन के लिए 'नो-गो' यानि पूर्णत: प्रतिबंधित घोषित कर दिया। सर्वेक्षण किए गए नौ कोयला क्षेत्रों में से यह एकमात्र क्षेत्र था जिसे पूरी तरह से 'नो-गो' घोषित किया गया था। हालाँकि, 2012 में, MoEFCC ने RRVUNL को PEKB क्षेत्र में खनन करने की मंजूरी दे दी और यूपीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने गो/नो-गो के वर्गीकरण को ही ख़त्म कर दिया।

'लंघनीय/ अनुल्लंघनीय ' श्रेणी: इसका उद्देश्य 'गो/नो-गो' वर्गीकरण को प्रतिस्थापित करना था और इसे छह 'योग्य' मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाना था। एनडीए शासन के दौरान, MoEFCC ने केंद्रीय कोयला और बिजली मंत्रालयों ('हित धारक मंत्रालयों') से इनपुट के आधार पर इन मापदंडों को घटाकर चार कर दिया (Business Standard 2015)।

भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने 2014 में इस तंत्र को और कमजोर करते हुए एक रिपोर्ट जारी की। 793 कोयला ब्लॉकों में से केवल 35 को ' अनुल्लंघनीय ' माना गया (India Today 2014)।

2015 में कोयला मंत्रालय और MoEFCC के बीच एक बैठक के दौरान, और भी

ब्लॉकों को मनमाने ढंग से 'अनुल्लंघनीय ' श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। इसमें हसदेव अरण्य के पतुरिया, पिंडराक्षी, केंटे एक्सटेंशन और परसा पूर्व आदि ब्लाक शामिल हैं।

2020 में, नीलामी के लिए ब्लॉकों की सूची में मोर्गा साउथ भी शामिल था, जो हसदेव अरंड के अंतिम बचे ब्लॉकों में से एक था। 97% वन क्षेत्र वाले इस ब्लॉक को पहले कभी आवंटित या नीलाम नहीं किया गया था। निकटवर्ती मांड-रायगढ़ कोयला क्षेत्र में अन्य ब्लॉक उपलब्ध होने के

वन मंजूरी का मतलब सिर्फ 'हां' कहना है

डाउन टू अर्थ के पास 17 नवंबर, 2015 को पर्यावरण और कोयला मंत्रालयों के बीच हुई एक बैठक के मिनट्स उपलब्ध हैं। इससे पता चलता है कि कैसे कोयला मंत्रालय के अधिकारियों को भारतीय वन सर्वेक्षण में 'प्रतिनियुक्त' किया गया था ताकि अछूते वन क्षेत्रों का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके और फिर उनके मूल्यांकन के लिए मापदंडों को कमजोर किया जा सके। मिनट के अनुसार :

- हाइड्रोलॉजिकल परत से प्रभावित 216 आंशिक रूप से अछूते ब्लॉकों में से 58 पहले से ही खनन के अधीन हैं: इनके लिए वन मंजूरी को मंजूरी दे दी गई थी। इन ब्लॉकों को अनुल्लंघनीय श्रेणी से बाहर निकालकर खनन जारी रखने की जरूरत है। 113 कोयला ब्लॉकों में सीमा संशोधन संभव है ताकि वे फिर से तय की गई सीमाओं के बाद अनुल्लंघनीय श्रेणी से बाहर आ सकें। 45 कोयला ब्लॉकों के मामले में सीमा संशोधन संभव नहीं है।
- 73 कोयला ब्लॉक अनुल्लंघनीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनमें से 12 पहले से ही खनन के अधीन हैं और इन्हें वन मंजूरी दी गई थी, इसलिए उन्हें अनुल्लंघनीय श्रेणी से बाहर रखा जाना चाहिए; 49, निर्णय नियम -1 से प्रभावित हैं (29 ब्लॉक में बहुत घने जंगल होने की वजह से) केवल); 6 निर्णय नियम-II से प्रभावित हैं; 6, कोयला मंत्रालय द्वारा पूर्व में पर्यावरण मंत्रालय से मिलकर आवंटित किया गया था. वन और जलवायु परिवर्तन, अब अनुल्लंघनीय श्रेणी में आती है जिसे अनुल्लंघनीय सूची से बाहर निकालने की आवश्यकता है। ये ब्लॉक हैं: हसदेव-अरंड में पतुरिया; हसदेव-अरंड में पिंडराक्षी; हसदेव-अरंड में केंटे एक्सटेंशन; हसदेव-अरंड में परसा पूर्व; मांड-रायगढ़ में तलाईपल्ली; और सिंगरौली में अमेलिया नॉर्थ।
- अत्यधिक घने जंगल के कारण प्रभावित 29 कोयला ब्लॉकों में से 19 ब्लॉकों में 1 वर्ग किमी से अधिक की सीमा में संशोधन संभव है ताकि उन्हें अनुल्लंघनीय श्रेणी से बाहर किया जा सके।
- भारतीय वन सर्वेक्षण में आंकड़ों का विश्लेषण करते समय, यह देखा गया कि ब्लॉक में पड़ने वाले सन्निहित पैच के बहुत घने जंगल के क्षेत्र का एक अंश भी निर्णय नियम -1 के तहत पूरे ब्लॉक को अनुल्लंघनीय बना देता है। इस पैरामीटर की वजह से पंद्रह ब्लॉक प्रभावित हैं, जिसे अनुल्लंघनीय श्रेणी से बाहर रखा जाना है।
- भारित वन आवरण की गणना करते समय, खुले जंगल का क्षेत्रफल x 0.25+ मध्यम घने जंगल का क्षेत्र x 0.55 + बहुत घने जंगल का क्षेत्र x 0.85 की गणना को पहले ही निर्णय नियम- II में सम्मिलित रखा गया है। इसलिए, निर्णय नियम- I के तहत बहुत घने जंगल

के पैरामीटर पर विचार करने से पैरामीटर का दोहरापन होता है। अत: निर्णय नियम-II में अत्यधिक सघन वन को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

- *ध्यान दें:* निर्णय नियम -1 में ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिनमें बहुत घने जंगल, संरक्षित वन और नदी जलग्रहण क्षेत्र हैं, जो उन्हें अनुल्लंघनीय बनाते हैं। निर्णय नियम-II में वे क्षेत्र शामिल हैं जो निर्णय नियम-1 के अनुसार अनुल्लंघनीय नहीं हैं, लेकिन उनमें पर्याप्त वन क्षेत्र, जैव विविधता और वन्यजीव मौजूद हैं।

चित्र 3.1. केन्द्रीय कोयला मंत्रालय के अधिकारी, घने जंगलों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों को निष्प्रभावी बनाने में शामिल थे। (DTE 2020)

क्या यह सही है?

लगातार नियमों में शिथिलता देकर, किस तरह अनुल्लंघनीय कोल ब्लॉक क्षेत्र को घटाया गया।

	कोल ब्लाक की गणना	कोल ब्लाक का कुल क्षेत्रफल (sq. km.)	अनुल्लंघनीय कोल ब्लॉक	कोल ब्लॉक का अनुल्लंघनीय क्षेत्रफल(sq. km.)	अनुल्लंघनीय रखे जाने वाले कोल ब्लाक का क्षेत्रफल (प्रतिशत में)
2010 यूएपीए शासन के दौरान वास्तविक अनुमान	602	6,488	206	3,040	46.86
जून 2014 एनडीए शासन के दौरान रिपोर्ट	725	8,268	55*	990	18.58
अगस्त 2014 शिथिल मापदंडों पर आधारित रिपोर्ट	793	12,006	NA	1,112	9026
अंतिम मान्य रिपोर्ट	793	12,006	35	944	7.86

* पूर्णत: अनुल्लंघनीय और अन्य आंशिक रूप से | स्त्रोत : 2010-2015 के दौरान केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय तथा पीएमओ के दस्तावेज।

चित्र 3.2. कोयला खनन पर लागू "नो गो और अनुल्लंघनीय क्षेत्र" के प्रतिबन्ध में विगत दशक में लगातार शिथिलता प्रदान की गयी है। (Business Standard 2015)

3.2. मंजूरी देने के प्रावधानों का उल्लंघन

3.2.1. पीईकेबी कोयला ब्लॉक

चरण 1 वन मंजूरी से तात्पर्य, प्रतिपूरक वनीकरण (भारतीय वन अधिनियम 1927 द्वारा परिभाषित 'आरक्षित वन' या 'संरक्षित वन') के लिए समकक्ष गैर-वन भूमि के स्थानांतरण, खातेदारी और घोषणा से संबंधित प्रस्तावों को दी गई 'सैद्धांतिक' मंजूरी और इस उद्देश्य के लिए आवंटित धन से है। औपचारिक (या चरण 2) मंजूरी जो राज्य सरकार से एक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद जारी की जाती है कि निर्धारित शर्तों की पालना हो गई हैं। 2011 में, आरआरवीयूएनएल को स्टेज 1 वन और पर्यावरण मंजूरी देकर, एमओईएफसीसी ने दोनों मानदंडों के लिए लागू दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया।

पर्यावरणीय मंजूरी

नीतियों का उल्लंघन: MoEFCC ने स्वयं, ब्लॉक को 'नो-गो' के रूप में वर्गीकृत किया था।

प्रक्रिया का उल्लंघन: तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने उच्च पारिस्थितिक संवेदनशीलता के कारण परसा, तारा और पीईकेबी ब्लॉकों में खनन के खिलाफ एफएसी की सिफारिश को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया।

2006 की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना का उल्लंघन: 2012 में प्रभावित ग्राम सभाओं के एक पत्र ने उजागर किया कि परियोजना के पक्ष में कंपनियों द्वारा फर्जी सार्वजनिक परामर्श सभाएं आयोजित की गई थी।

वन मंजूरी

क्षेत्र में वन अधिकार के दावों का निपटारा नहीं होने के बावजूद MoEFCC ने मंजूरी दे दी।

MoEFCC के 2009 के परिपत्र के अनुसार, वन भूमि को गैर-वन उद्देश्यों के लिए डायवर्ट करने से पहले एफआरए दावों का निपटारा किया जाना चाहिए और डायवर्जन के लिए ग्राम सभा की लिखित सहमति या अस्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए।

प्रभावित ग्राम सभाओं ने आधिकारिक तौर पर 2012 में तीन बार संबंधित अधिकारियों को लिखा था कि उनके अधिकारों की मान्यता लंबित थी और इसलिए डायवर्जन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके बावजूद, MoEFCC ने नवंबर 2012 में स्टेज 2 की मंजूरी दे दी।

3.2.2. परसा कोल ब्लॉक और केटे एक्सटेंशन कोल ब्लॉक

जब नए ब्लॉकों के लिए मंजूरी प्रक्रिया चल रही थी, तब एचएबीएसएस ने खनन गतिविधियों के खिलाफ मजबूत प्रतिरोध का आयोजन किया।

पर्यावरणीय मंजूरी

केटे एक्सटेंशन से प्रभावित गांवों ने अपने गांवों में कंपनी के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की सहमति को वापस ले लिया, जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 के तहत आवश्यक है। परसा कोयला ब्लॉक के लिए सार्वजनिक सुनवाई में, कंपनी ने परियोजना का विरोध करने वालों के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने से रोकने का प्रयास किया। यह बात लिखित रूप से मौजूद है कि खनन के पक्ष में सार्वजनिक सहमति बनाने के लिए वे अन्य क्षेत्रों से भी लोगों को बसों में लाये। यह पर्यावरण मंजूरी के लिए स्थापित प्रक्रियाओं का स्पष्ट और गंभीर उल्लंघन था, जिसके अनुसार, परियोजना को मंजूरी देने से पहले प्रभावित गांवों से परामर्श करना आवश्यक होता है।

वन मंजूरी

HABSS ने कई सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किए हैं और आरोप लगाया है कि ग्राम सभाओं की सहमति फ़र्जी थी और कुछ मामलों में, भूमि अधिग्रहण के लिए व्यक्तियों की सहमति जबरदस्ती ली गई थी। एचएबीएसएस, परसा ब्लॉक में दूसरे चरण की मंजूरी देने से पहले ली गई ग्राम सभा की सहमति के फर्जीवाड़े को अदालत में चुनौती दे रहा है, हालांकि याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति नहीं दी गई है।

3.3. खनन के दौरान मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन

PEKB कोयला ब्लॉक को मंजूरी देने से पहले तैयार की गई EIA रिपोर्ट उन आंकड़ों पर आधारित थी जो खदान के वास्तविक संचालन के अनुरूप नहीं थे। इसका तात्पर्य यह है कि मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करते समय लेखा परीक्षकों को या तो जानबूझकर गलत जानकारी दी गई थी या महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए गए थे, जो कि MoEFCC की EIA अधिसूचना, 2006 के तहत एक दंडनीय अपराध है (HABSS 2014)।

- पीईकेबी खनन परियोजना के लिए ईआईए रिपोर्ट में कोयले के परिवहन के लिए रेल परियोजना के निर्माण और खनन क्षेत्र में बिजली संयंत्र की स्थापना का उल्लेख नहीं किया गया था, जो पर्यावरणीय प्रभाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तत्व थे। वन घनत्व, वन्य जीवन और वनस्पतियों की जानकारी भी छिपाई गई।
- पारसा पूर्व में ओपन कास्ट खनन के लिए तैयार की गई ईआईए रिपोर्ट, एमओईएफसीसी के संदर्भ की शर्तों के खिलाफ थी, जिसमें परियोजना के लिए भूमिगत खनन का मूल्यांकन निर्दिष्ट किया गया था। ग्राम वासियों ने कहा है कि कंपनी ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान यह बात स्वीकार की थी लेकिन अपने मिनट्स में इसे छुपाया।
- पर्यावरण के अनुकूल सुपर-क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना पर भी मंजूरी सशर्त थी लेकिन अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने इसमें निवेश नहीं किया।

2016 में, जैसा कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा इंगित किया गया, पर्यावरण मंजूरी (EC) के छह उल्लंघन थे (CPR 2016)। [अगले पन्ने पर।]

2011 EC पत्र में विशेष शर्तें	2016 सीपीआर रिपोर्ट के निष्कर्ष
2 A (iv): शुरुआती दो से तीन वर्षों को छोड़कर 78 किमी की दूरी तक कोयला परिवहन पूरी तरह से रेल द्वारा किया जाना चाहिए।	मंजूरी मिलने के तीन साल से भी अधिक समय के बाद भारी-भरकम ट्रकों के माध्यम से कोयले का परिवहन किया जा रहा था, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई।
2A (v): कोयला परिवहन के लिए 24 महीने के भीतर खदान से सटे रेलवे साइडिंग का निर्माण किया जाना चाहिए।	24 माह बाद भी रेलवे लाइन का निर्माण नहीं हुआ. प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया कि परियोजना प्राधिकरण ने सूरजपुर से तारकेश्वर तक 53 किलोमीटर रेल साइडिंग का निर्माण किया था, लेकिन यह खदान के साथ नहीं फैला था। कोयले के परिवहन के लिए भारी वाहनों के उपयोग ने उन निवासियों के लिए 'रेड अलर्ट' पैदा कर दिया, जो वाहनों के उत्सर्जन से उत्पन्न धूल और धुएं के बीच अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर थे। सड़क के किनारे के स्कूल और आंगनवाड़ी भी प्रभावित हुए।
2A (xv): कच्चे कोयले, धुले हुए कोयले और कोयले के कचरे (अस्वीकृत) को एक दिवसीय क्षमता के स्टॉकयार्डों के भीतर उचित रूप से ढेर किया जाएगा जो विंडब्रेकर/शील्ड से सुसज्जित हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए कि भंडारित कच्चा कोयला, धुला हुआ कोयला और कोयला अपशिष्ट में आग न लगे।	परसा के ग्रामीण नियमित रूप से स्टॉकयार्ड में कोयले में आग जलते हुए देखते थे। इससे दम घुटने वाली दुर्गंध फैल गई जो परसा, कांटा और साल्ही में फैल गई। अस्वीकृत कोयले के लिए साइट की भंडारण क्षमता आधिकारिक सीमा से अधिक हो गई।

2011 EC पत्र में विशेष शर्तें	2016 सीपीआर रिपोर्ट के निष्कर्ष
2A (vii): परियोजना क्षेत्र के बाहर अटेम नदी के जल निकासी प्रक्रिया से पूर्व अध्ययन और अनुमोदन के बिना तटबंध के निर्माण या नालों/धाराओं के मोड़ के माध्यम से छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए।	अदानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घाटबर्रा नाला में लगातार कोयला मिश्रित अपशिष्ट जल को पाइप लाइन के माध्यम से बहाया जा रहा था। यह अपशिष्ट जल एक नहर के माध्यम से साल्ही तक बह रहा था और बाद में काला पानी अटेम नदी में प्रवेश कर रहा था। परिणामस्वरूप, चैनल के पार का पानी प्रदूषित हो रहा था, और इसका असर ग्रामीणों, 'निस्तारी' के पानी पर निर्भर जानवरों और उन फसलों पर पड़ा, जिन पर कई लोग अपनी एकमात्र आय के रूप में निर्भर थे। परियोजना प्रस्तावक ने धारा के भीतर ही मिट्टी से एक अस्थायी जलाशय का निर्माण करके प्राकृतिक धारा के प्रवाह को मोड़ दिया। इससे पानी का बहाव मुड़ गया. मिट्टी की संरचना होने के कारण, जलाशय अक्सर अपनी क्षमता से अधिक हो जाता था और दीवार टूट जाती थी। इसके परिणामस्वरूप सारा अपशिष्ट जल धारा में बहकर साल्ही और शिवनगर नालों को पार कर अंत में अटेम नदी में प्रवाहित हो गया।
2A (xiii): रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में वर्षा के आंकड़ों का उल्लेख किया जाना चाहिए।	ओवरबर्डन (OB) डंप के आसपास कोई रिटेनिंग दीवार का निर्माण नहीं किया गया, जिससे जल प्रदूषण और भी अधिक हो गया। बारिश के दौरान, ओबी डंप का पानी सड़कों से बहकर आसपास के इलाकों में घुस जाता है। इसी तरह, जिस स्टॉकयार्ड में अस्वीकृत कोयले का भंडारण किया जाता था, वहां कोई रिटेनिंग वॉल नहीं थी। बरसात के मौसम में रिजेक्ट कोयला पानी में मिलकर किसानों के खेतों और अन्य जलस्रोतों में घुस जाता है। गाढ़ा काला घोल अब नदी में चला गया, जिससे निवासी इस पानी का उपयोग करने में असमर्थ हो गए।

2011 EC पत्र में विशेष शर्तें	2016 सीपीआर रिपोर्ट के निष्कर्ष
2A (xx): वॉशरी इकाई एक शून्य डिस्चार्ज सुविधा होगी और वॉशरी से कोई भी अपशिष्ट जल नालियों/प्राकृतिक जलस्रोतों में नहीं छोड़ा जाएगा। पुनर्चक्रित जल का उपयोग हरित पट्टी के विकास और रखरखाव तथा संयंत्र संचालन में किया जाएगा। पानी की रिकवरी के लिए वॉशरी प्लांट में एक फिल्टर प्रेस स्थापित किया जाएगा।	अदानी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड ने गड्ढे से अपशिष्ट जल को जलाशय में छोड़ने के लिए केवल मोटर पंप स्थापित किए। किसी भी अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण नहीं किया गया। अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सकता है और हरित बेल्ट के विकास और संयंत्र के संचालन के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अदानी द्वारा इन उपायों को नहीं अपनाया गया।

3.4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 का उल्लंघन

जून 2004 में, भारत सरकार ने औपनिवेशिक युग की वन प्रबंधन और संरक्षण नीतियों के कारण देश के वन-निवास आदिवासी समुदायों के साथ हुए 'ऐतिहासिक अन्याय' को स्वीकार किया। वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए) भारतीय वन-सम्बंधित कानून में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने वन भूमि पर वन-निवास समुदायों के अधिकारों को मान्यता दी और औपचारिक रूप से वन संसाधनों के स्वामित्व का प्रावधान किया। महत्वपूर्ण रूप से, पंचायत अधिनियम, 1996 (पीईएसए)(अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) के प्रावधानों के साथ, इसने ग्राम सभाओं को वन भूमि के दावों को प्राप्त करने और सत्यापित करने में, प्राथमिक प्राधिकारी के रूप में सशक्त बनाया, और किसी भी वन विवर्तन के लिए स्पष्ट रूप से ग्राम सभा की सहमति की आवश्यक बना दिया।

हालाँकि, हसदेव में, MoEFCC द्वारा FRA और PESA दोनों का खुलेआम उल्लंघन किया गया है। प्रभावित गांवों की ग्राम सभाओं ने खनन गतिविधियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मंजूरी चरण के माध्यम से अधिकारियों को बार-बार लिखा। इसके बावजूद वन मंजूरी फिर भी दी गई।

जून 2013 में, घाटबर्रा, फ़तेहपुर, सेदु, सुस्कम, परोगिया, साल्ही और हरिहरपुर की ग्राम सभाओं ने अपने सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) दावों को उचित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित उप प्रभागीय समिति को भेजा। सीएफआर, एफआरए द्वारा संरक्षित एक अभिनव नवाचार ग्राम सभा को अपनी पारंपरिक सीमा के भीतर जंगल का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। 2013 में, 24 सामुदायिक वन अधिकार स्वामित्व प्रदान किए गए लेकिन वन संसाधन स्वामित्व प्रदान नहीं किए गए। HABSS के अनुसार, दिए गए वन अधिकारों में कई मुद्दे स्पष्ट नहीं थे।

- PEKB परियोजना के सात प्रभावित गांवों में सीएफआर स्वामित्व, खदान के लिए भूमि अधिग्रहण होने के बाद ही सौंपे गए थे।
- वास्तविक स्वामित्व अधिकार, दावा किए गए क्षेत्र से कहीं कम क्षेत्र पर दिए गए थे। कुछ मामलों में, सीएफआर स्वामित्व में उल्लिखित क्षेत्र को इसलिए कम कर दिया कि खदान के लिए

भूमि पहले ही स्थानांतरित की जा चुकी थी ।

- परसा और प्रोगिया गांवों को दावों के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति नहीं दी गई। उनके पास अभी भी सीएफआर स्वामित्व नहीं हैं।
- सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन अधिकारों के लिए 'फॉर्म-सी' दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई थी क्योंकि स्थानीय प्रशासन अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार के प्रारूप और निर्देशों का इंतजार कर रहा था।
- व्यक्तिगत वन अधिकार दावों का निपटान बेहद कम है और देय वन भूमि से कहीं कम क्षेत्रफल के दावों को मान्यता मिलने की व्यापक घटनाएं हुई हैं। कई मामलों में यह 0.1-0.2 हेक्टेयर से भी कम है, जो स्पष्ट रूप से इन समुदायों के निवास और कृषि के लिए अव्यवहारिक रूप से कम वन भूमि है।
- सौंपे गए स्वामित्वों में कोई नक्शा या निर्देशांक शामिल नहीं है जैसा कि आवश्यक है, जिसके कारण स्वामित्व दावा क्षेत्र पर स्पष्टता का पूर्ण अभाव है और भूमि के एक ही टुकड़े पर दोहरा स्वामित्व बन रहा है।

जिला स्तरीय समिति, जिसमें जिला कलेक्टर, प्रभागीय वन अधिकारी और आदिवासी विकास के सहायक आयुक्त शामिल थे, ने 8 जनवरी 2016 को घाटबर्रा गांव के वन अधिकारों को रद्द कर दिया। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि जब से ग्राम सभा को सितंबर 2013 में अपना सीएफआर प्राप्त हुआ था, तब से खनन कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। पत्र में इस कदम को उचित ठहराते हुए कहा गया है कि सीएफआर स्वामित्व, अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की शिकायत के आधार पर, 2012 में वन डायवर्जन की मंजूरी के बाद ही प्राप्त किए गए थे।

FRA में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आईएफआर और सीएफआर, लोगों के लिए उसी दिन से निहित और मान्य हैं जिस दिन अधिनियम अस्तित्व में आया था, न कि उस दिन से जब उन्हें स्वामित्व प्राप्त हुआ था। इसमें कहा गया है कि वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों या पारंपरिक वनवासियों के दावे उस भूमि के लिए मान्य हैं जो 'इस अधिनियम [FRA 2006] के लागू होने की तारीख से किसी व्यक्ति या परिवार या समुदाय के कब्जे में है।'[1] जिला स्तरीय समिति ने एईएल के बहाने वन मंजूरी प्राप्त करने की, जांच या स्पष्टीकरण प्राप्त करने की जहमत नहीं उठाई, जिसे 2014 में एनजीटी द्वारा रद्द कर दिया गया था। एफआरए के अनुसार, भूमि के दावों पर विवाद उठाने के लिए 60 दिनों की अवधि नियत है और जिला स्तरीय समिति द्वारा मामले को निपटाने से पहले सभी पीड़ितों को एक मौका देना चाहिए। मगर एईएल ने बहुत देर से पहल की।[2]

2016 में, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भी ग्राम सभा की मंजूरी के बिना 'रैखिक परियोजनाओं', यानी सड़क, रेलवे, ट्रांसमिशन या खनन उद्यम से संबंधित अन्य सहायक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देने वाले संशोधन लेकर आई । ग्राम सभा से विचार-विमर्श पश्चात अनुमोदन या मंजूरी देने के बजाय केवल जिला कलेक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर, रैखिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाने से एफआरए 2006 के प्रावधानों को औपचारिक रूप से कमजोर कर दिया गया। अब, (खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957) में आगे के संशोधन के बाद) परियोजना से प्रभावित लोगों की सहमति के बिना, पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन

[1] Chapter III (6) of the FRA 2006.

[2] Chapter IV (4) of the FRA 2006.

के बिना और पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता के बिना ही सहायक परियोजनाओं को स्टैंडअलोन उद्यम के रूप में मंजूरी दी जा सकती है।

आपदा में अवसर

मार्च 2020 में, देश में कोविड-19 लॉकडाउन लागू किए जाने से कुछ दिन पहले, एमओईएफसीसी ने दो नोटिस प्रकाशित किए, जिन्होंने पर्यावरण प्रतिबंधों को और कम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन संशोधनों ने और अधिक बदलाव के लिए मंच तैयार किया, जिससे कोयले के व्यावसायीकरण में वृद्धि हुई। खनन निगमों को अब भूमि अधिकार सहित खनन अधिकार भी प्राप्त हो गया है। इन संशोधनों की बदौलत, अब कोई भी खनन क्षेत्र की विशेषज्ञता के पूर्व अनुभव के बिना ही, खदान खरीद प्रक्रिया में भाग ले सकता है। कोयले के अंतिम उपयोग के लिए कोयला खदान (विशेष प्रावधान) अधिनियम के नियमों में ढील देना, जो पहले स्टील और बिजली उत्पादन जैसे कुछ अनुमोदित उद्देश्यों तक ही सीमित था, दूसरा और अधिक खतरनाक संशोधन है। केवल अनुमोदित उपयोगों के लिए निजी तौर पर कोयला खनन की पूर्व शर्त समाप्त कर दी गई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पेसा द्वारा हरिहरपुर, साल्ही और फ़तेहपुर के लिए ली गई अनिवार्य लिखित सहमति, फर्जी है। 2018 में, दूर-दराज के स्थानों से उन लोगों को लाकर, जो परियोजना से विस्थापित नहीं होंगे, आयोजित की गई 'फर्जी' ग्राम सभाओं को देखकर ग्रामीण आश्चर्यचकित रह गए । पुलिस और जिला कलेक्टर से शिकायत करने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित है मगर विवादित भूमि पर पेड़ों की कटाई लगातार जारी है। अक्टूबर 2021 में, 94 वर्षीय प्रतिभागी सहित हसदेव के हजारों लोगों ने 300 किमी से अधिक पैदल मार्च किया और मामले की जांच की मांग को लेकर रायपुर पहुंचे। वे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तत्कालीन राज्यपाल अनुसुइया उइके से मिले, जिन्होंने, उन्हें जांच का आश्वासन दिया। मगर, इसके बाद से बघेल सत्ता से बाहर हो गए हैं, जबकि उइके, जो पहले राज्यसभा में भाजपा सांसद थे, को मणिपुर स्थानांतरित कर दिया गया है।

घाटबर्रा जैसे गांवों का अनुभव एफआरए के कुछ प्रावधानों के सफल कार्यान्वयन के कुछ उदाहरणों में से एक है और साथ ही एफआरए के उद्देश्य और प्रावधानों के गंभीर और स्पष्ट उल्लंघन का एक उदाहरण भी है।

आदिवासी समुदाय को उनके वन अधिकार प्राप्त होने से पहले न केवल वन मंजूरी दे दी गई थी, बल्कि इस आधार पर उनके वन अधिकार भी रद्द कर दिए गए थे कि आदिवासी समुदाय, खनन गतिविधियों को बाधित करने के लिए अपने अधिकारों का उपयोग कर रहा था। निरस्तीकरण के लिए कानूनी आधार की कमजोरी के अलावा, यहां इस बात के स्पष्ट संकेत है कि एफआरए मान्यता देने का उद्देश्य बस एक रस्म अदायगी के अलावा कुछ भी नहीं था। यह देश में वन अधिकारों की जमीनी हकीकत दर्शाता है, जो या तो पूरी तरह से लागू नहीं किए गए हैं या अनसुने हैं, या केवल सतही तौर पर इस तरह से लागू किए जाते हैं जो बड़े पूंजीपतियों के हित में आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को कमजोर करते रहते हैं। इन परियोजनाओं को अक्सर 'गरीब और पिछड़े' आदिवासियों को रोजगार देने के नाम पर उचित ठहराया जाता है, लेकिन एफआरए की व्यवस्थित और ज़बरदस्त अनदेखी, जो पारंपरिक वनवासियों को वन संसाधनों का प्रबंधन करने का अधिकार देती है, यह स्पष्ट रूप से उजागर करती है कि राज्य सत्ता किसका हित देख रही है ।

4. मुनाफ़े की राह पर अडानी

गौतम अडानी का कार्बन फूट प्रिंट दुनिया में सबसे अधिक है। इसका अधिकांश हिस्सा कोयले के खनन या ताप विद्युत उत्पादन से आता है। एईएल के स्वामित्व वाली अडानी एनर्जी 2022 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन प्रदूषक था और केवल छह एईएल सहायक कंपनियों ने 29,528 किलो-टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन किया (Oxfam 2022)। इसमें से अधिकांश कोयला-संचालित था, एईएल देश में सबसे बड़े निजी कोयला-आधारित ऊर्जा उत्पादक के रूप में उभरा। समूह के पास भारत में नौ परिचालित या आगामी कोयला खदानें हैं। वर्तमान में यह देश से बाहर इंडोनेशिया में कालीमंतन के तट पर एक द्वीप पर बुन्यू खदान और विवादित कारमाइकल खदान का संचालन कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ(मूंगा चट्टान)के संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहा है, जहां दुनियां भर में ज्ञात जलीय जीवों का दसवां हिस्सा निवास करता है।

निचले 99 प्रतिशत लोगों में से किसी को भी उतना कार्बन पैदा करने में लगभग 1,500 साल लगेंगे जितना पृथ्वी के सबसे अमीर अरबपति एक साल में करते हैं। सबसे अमीर एक प्रतिशत का कार्बन उत्सर्जन 2030 में पेरिस जलवायु समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य के अनुरूप स्तर से 22 गुना अधिक होने वाला है।इसके विपरीत, वैश्विक आबादी के सबसे गरीब आधे हिस्से का उत्सर्जन 1.5 डिग्री सेल्सियस संगत स्तर के पांचवें हिस्से पर रहेगा।

कोयला खनन की अत्यधिक विनाशकारी प्रकृति को लेकर गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं एवं कोयला आधारित बिजली खपत की अस्थिरता को विश्वव्यापी मान्यता के बावजूद राज्य और कॉर्पोरेट के बीच सांठगांठ से कॉरपोरेट जगत खदानों तक अपना रास्ता बनाना जारी रखी है। हम सभी में

'Inappropriate' deal

How Adani Group remained the mine developer and operator (MDO) for two coal blocks post the 2014 Supreme Court judgement.

MAY 2006	Rajasthan public sector unit RRVUNL floats tender for a joint venture (JV) partner for coal mining
AUG 2006	India's coal ministry allots the Parsa coal block to Chhattisgarh State Power Generation Company (CSPGC)
JUN 2007	The coal ministry allots PEKB coal block to RRVUNL
OCT 2007	RRVUNL forms a JV with Adani Group; Adani holds 74% equity in the JV
JUL 2009	The RRVUNL-Adani JV appoints Adani Group as the MDO for the PEKB block
DEC 2010	Adani Group forms a JV with CSPGC; the JV is later appointed as the MDO for the Parsa block
2013	Mining operations commence at the PEKB coal block
AUG 2014	The Supreme Court cancels allocations of 204 coal blocks, including PEKB and Parsa
MAR 2015	The Modi government enacts the Coal Mines Special Provisions Act, which allowed the revival of old MDO contracts
MAR 2015	The coal ministry reallocates PEKB to RRVUNL, which subsequently reinstates Adani as MDO
FEB-MAR 2015	On Adani's recommendation, RRVUNL applies for the allocation of the Parsa block and gets it; RRVUNL then appoints its JV with Adani as MDO without a new auction
MAR 2020	The Prime Minister's Office internally admits that the appointment of MDOs before the allotment of mineral blocks was "inappropriate"
AUG-OCT 2020	Top government officials note there was only one pre-2014 MDO deal continuing - the Adani Group's MDO for the PEKB block; officials leave the deal untouched and suggest no such deals be allowed in the future

Source: Al Jazeera, | Updated: February 28, 2023

@AJLabs ALJAZEERA

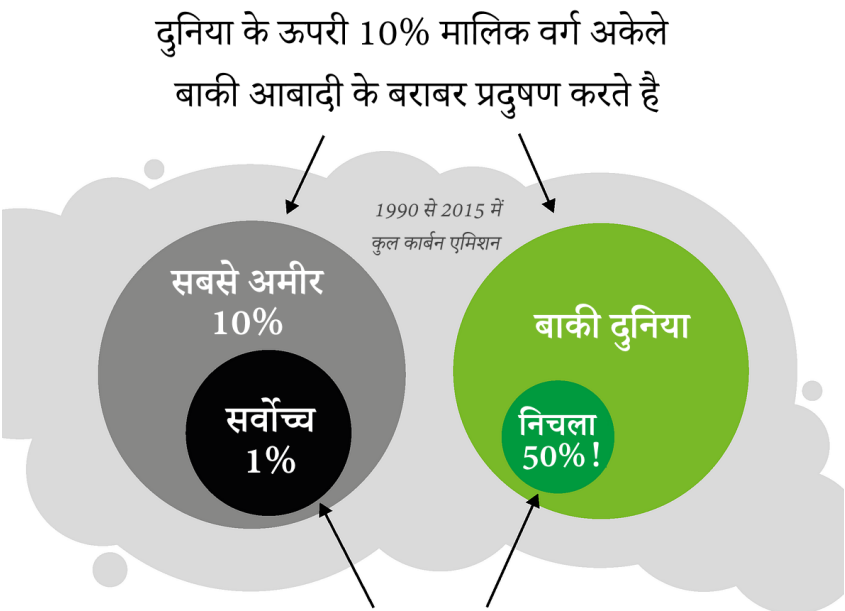

चित्र 4.1. Oxfam (2022) के आंकड़े।

पिछली UPA सरकार में हुए 'कोलगेट' घोटाले की स्मृति तो है ही, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार (मोदी सरकार), विशेष रूप से अडानी से जुड़ी सहायक कंपनियों के लिए लाभ प्राप्त करने का रास्ता साफ करने में जुटी हुई है, और इस दिशा में काफी आगे बढ़ गई है।

सत्ता संभालने के एक साल के भीतर ही नरेन्द्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2015 में कोल माइंस (स्पेशल प्रोविजन) अधिनियम को पारित कर सभी चालू कोयला खदानों को नीलामी द्वारा प्राईवेट कंपनियों को आवंटित करने का प्रावधान कर दिया ।विशेष रूप से, इसने केंद्र सरकार को राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और संयुक्त कोल ब्लॉक को भी निजी कम्पनियों को आवंटित करने की भी अनुमति दी। अतः इस अधिनियम के द्वारा मोदी सरकार ने उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 में दिए गए फैसले को भी किनारे लगा दिया। जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 204 कोल ब्लॉक (परसा एवं PEKB सहित) आवंटन को रद्द कर दिया था और राज्य-निजी संयुक्त उद्यमों को परेशान करने वाली प्रवृत्ति का बताया था (SC 2014)।

कुल मिलाकर हसदेव वन क्षेत्र में कोल ब्लॉक की मंजूरी और उसका आवंटन के पीछे सरकार का औचित्य राजस्थान में कोयला आधारित पॉवर प्लांट को कोयला उपलब्ध कराना है। RRVUNL-AEL ने सन् 2011 में यह योजना प्रस्तावित किया था कि 15 वर्ष की अवधि में करीब 140 मिलियन टन कोयला PEKB से निकाला जाएगा। उसके बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में RRVUNL ने MoEFCC से संपर्क कर PEKB में दूसरे चरण के

खनन की अनुमति मांगी और यह बताया कि मौजूदा खदानों में अब मात्र 20 मिलियन टन ही कोयला बचा है। समाचार पोर्टल *Scroll* (2022) के एक RTI से PEKB ब्लॉक में माल ढोने वाले ट्रांसपोर्ट के तेजी से घटते रिकॉर्ड के साथ यह भी सवाल उठता है कि हसदेव अरण्य का कोयला भण्डार इतनी तेजी से कहां गायब हो रहा है?

कोयला 'क्वालिटी' का ढकोसला

2021 में PKEB से करीब 15 मिलियन टन कोयला भेजा गया. इसमें दो प्रकार शामिल थे: साफ किया हुआ कोयला' और रिजेक्ट कोयला'। कोयले की धुलाई से तात्पर्य राख के स्तर को कम करने और ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए इसे साफ करने की प्रक्रिया से है, और यह प्रक्रिया रिजेक्ट' कोयला भी बनाती है। अडानी एंटरप्राइजेज के साथ राजस्थान सरकार के साथ समझौते में कहा गया है कि वह 4,000 GCV (सकल कैलोरी मान) का कोयला स्वीकार करेगा और केवल इस सीमा से नीचे के कोयले को ही धोना होगा। PKEB का दो-तिहाई कच्चा कोयला इस आवश्यकता को पूरा करता है और फिर भी, अडानी इसे धोने के लिए राजस्थान सरकार को भुगतान करती है।

जबकि धुला हुआ कोयला राजस्थान (छबड़ा, कालीसिंध और सूरतगढ़) और छत्तीसगढ़ के बिजली स्टेशनों को भेजा जाता है, PEKB का 'रिजेक्टेड' कोयला अडानी के बिजली स्टेशनों: रायपुर एनर्जेन और महन एनर्जेन लिमिटेड को भेजा जाता है। महन संयंत्र मध्य प्रदेश के कोयला समृद्ध सिंगरौली जिले में स्थित है। आश्चर्यजनक रूप से, अदानी पावर ने इस क्षेत्र में रिजेक्टेड कोयले के परिवहन के लिए माल ढुलाई शुल्क में ₹1,228 प्रति टन का भुगतान करना उचित समझा।RR-VUNL और अदानी पावर द्वारा खरीदे गए कोयले के बीच मूल्य असमानता काफी है, राजस्थान सरकार के स्वामित्व वाले ऊर्जा उत्पादक अदानी पावर के 450 प्रति टन की तुलना में प्रति टन 2,175 रुपये का भुगतान करते हैं।

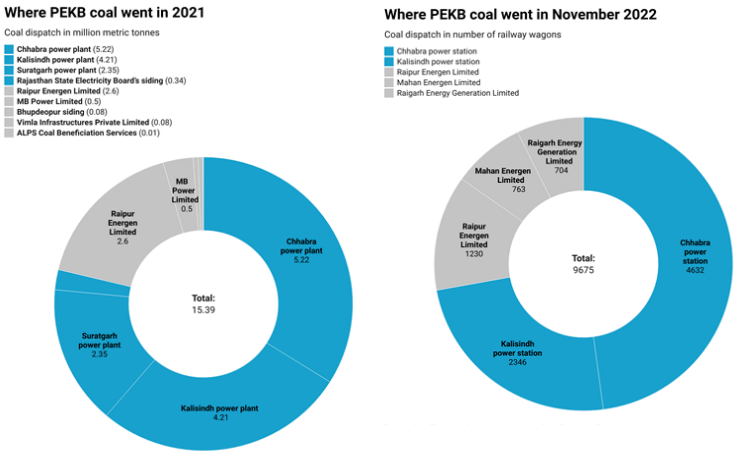

चित्र 4.2. PEKB से कोयला किधर गया? 2021 (बाए) और 2022 (दाए)।

छत्तीसगढ़ कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के दायरे में आता है, जो बिजली उपयोगिताओं को रियायती दरों पर कोयला प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक खदानों के साथ, एसईसीएल अदानी-नियंत्रित पीकेसीएल की तुलना में कोयले का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करता है। परिवहन शुल्क को छोड़कर, एसईसीएल और पीकेसीएल के बीच लागत का अंतर ₹274.16 प्रति टन है। अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड की 2016-17 वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि पीकेसीएल ने उस अवधि के दौरान बिजली संयंत्रों को 7.33 मिलियन टन धुला हुआ कोयला भेजा। इसके परिणामस्वरूप राज्य के स्वामित्व वाली एसईसीएल की दर की तुलना में पीकेसीएल को लगभग ₹200.9 करोड़ का वार्षिक अतिरिक्त भुगतान होता है।

परसा पूर्व और कांता बसन के लिए 30-वर्षीय खनन पट्टे की अवधि का अनुमान है, यह RRUVNL द्वारा PKCL को लगभग 6,029 करोड़ रुपये का संचयी अतिरिक्त भुगतान है।

राजस्थान ने हाल ही में पूर्ण विद्युतीकरण हासिल किया है, फिर भी वह अभी भी कोयले पर बहुत अधिक निर्भर है, इसकी आधी बिजली PEKB से प्राप्त होती है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमी के कारण परसा केंटे में कोयला ब्लॉकों को शीघ्र मंजूरी देने के लिए दबाव डाला। प्रचुर मात्रा में सूरज की रोशनी और 2019 तक 30 गीगावॉट सौर ऊर्जा की योजना के बावजूद, राजस्थान की वर्तमान 22 गीगावॉट क्षमता में कोयला आधारित थर्मल पावर से 10 गीगावॉट शामिल है। हालांकि राज्य तेजी से सौर और पवन ऊर्जा को एकीकृत कर रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के अनुमान के मुताबिक, नवीकरणीय ऊर्जा को राज्य की 75% बिजली की मांग को पूरा करने में एक दशक लग सकता है।

PEKB और परसा पर्याप्त नहीं हैं। तब से, अदाणी से जुड़ी सहायक कंपनियों ने चार नए कोयला ब्लॉक हथिया लिए हैं: छत्तीसगढ़ में खारगांव और झिगडोर, आंध्र प्रदेश में धीरौली और महाराष्ट्र में गोंडखैरी। हसदेव में पेंड्राखी और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अन्य कोयला ब्लॉक भी AEL के लिए महत्वपूर्ण रुचि के हैं। 2022 में AEL को गोंडबहेड़ा उझेनी पूर्वी कोयला ब्लॉक के आवंटन पर भी नाराजगी हुई क्योंकि यह नीलामी में एकमात्र बोली लगाने वाला था। उस वर्ष गौतम अडानी की व्यक्तिगत संपत्ति में 46% (42 बिलियन अमरीकी डालर) की वृद्धि हुई, जिससे वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए।

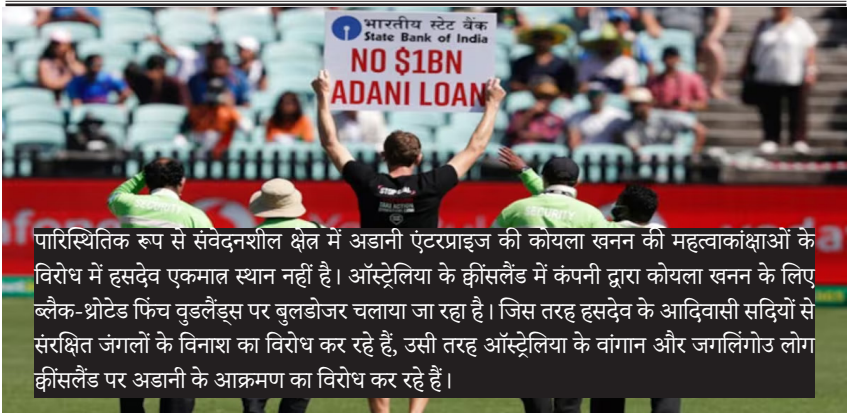

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में अडानी एंटरप्राइज की कोयला खनन की महत्वाकांक्षाओं के विरोध में हसदेव एकमात्र स्थान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कंपनी द्वारा कोयला खनन के लिए ब्लैक-थ्रोटेड फिंच वुडलैंड्स पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। जिस तरह हसदेव के आदिवासी सदियों से संरक्षित जंगलों के विनाश का विरोध कर रहे हैं, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के वांगान और जगलिंगोउ लोग क्वींसलैंड पर अडानी के आक्रमण का विरोध कर रहे हैं।

उपसंहार: संघर्ष का एक दशक

जैसे यह रिपोर्ट छपने जा रही है, HABSS हसदेव क्षेत्र में अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा खनन के विस्तार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने के 720वें दिन में प्रवेश कर गया है। 7 जनवरी 2024 को, कई लोकतांत्रिक संगठनों द्वारा विरोध स्थल पर राज्यव्यापी जनसमूह को छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा बेरहमी से दबा दिया गया था। हसदेव से लेकर रायपुर और बिलासपुर तक, 300 किलोमीटर से अधिक दूर तक बैरिकेड्स लगा दिए गए, क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज के प्रति दिखाए गए पक्षपात के खिलाफ आवाज उठाने वालों में से कई को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। नई भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के तहत, HABSS के साथ एकजुटता में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और पदयात्रा (रैलियों) की अनुमति नहीं दी गई और जनवरी के महीने में लाठीचार्ज करके जनसमुदाय को तितर-बितर कर दिया गया।

26 फरवरी 2024 को, कई जन संगठनों ने पिछले साल दिसंबर में हसदेव में बंदूक की नोक पर की गई पेड़ों की कटाई और 24 अलग-अलग चल रहे विरोध स्थलों पर राज्य के विभिन्न प्रकार के दमन के खिलाफ छत्तीसगढ़ विधानसभा के घेराव (धरना) का आह्वान किया है। बस्तर के दक्षिणी जिलों में आदिवासियों का विस्थापन हसदो की गूँज दूर-दूर तक मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सुनी जा सकती है, जहाँ आदिवासी समुदायों ने एकजुट होने का आभास दिया है, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम), किसान संघों का संयुक्त मंच है, जिसने इसकी अगुवाई की है 2021 में आरएसएस बीजेपी के कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने भी प्रदर्शनकारी आदिवासी किसानों के प्रति एकजुटता दिखाई है।

हसदेव, जिसके पास देश के कुल कोयला भंडार का दो प्रतिशत से भी कम है, आदिवासियों के उनकी आजीविका के वन-आधारित स्रोतों से पारिस्थितिक रूप से विनाशकारी विस्थापन के खिलाफ प्रतिरोध का एकमात्र स्थल नहीं है।छत्तीसगढ़ में ही मोटे तौर पर 200 से अधिक कोयला

ब्लॉक चिन्हित हैं।

देश भर में 900 जिनमें से केवल 153 ब्लॉकों को उनकी पारिस्थितिक संवेदनशीलता को देखते हुए 'नो-गो' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। जैसा कि अध्याय 4 में तर्क दिया गया है, सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिता कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा वर्तमान में संचालित कई वैकल्पिक कैप्टिव कोयला ब्लॉक, कृषि के लिए अनुपयुक्त बंजर क्षेत्रों में हैं और हसदेव में अडानी एंटरप्राइजेज की खदानों की तुलना में कम लागत पर कोयला प्रदान कर सकते हैं। यदि ऊर्जा उत्पादन के गैर-कोयला स्रोतों के साथ-साथ इन विकल्पों की खोज की जाती है, तो यह सार्वजनिक खजाने पर कम बोझ होगा, जो अंततः उच्च बिजली बिलों के रूप में राजस्थान के निवासियों पर पड़ता है।

अडानी एंटरप्राइजेज के नीचे तक जाने की भयावह दौड़ में शामिल होने का एकमात्र कारण यह है कि हसदेव क्षेत्र में कोयला अपेक्षाकृत उथले क्षेत्र में स्थित है और इसे कंपनी के लिए सस्ती कीमत पर ओपन-कास्ट तरीकों का उपयोग करके खनन किया जा सकता है। यह हसदेव के निवासियों के लिए उनकी उपजाऊ मिट्टी में दो-फसलीय कृषि के साथ-साथ वन उत्पादों की एक श्रृंखला का उपयोग करते हुए जैव विविधता वाले क्षेत्र की रक्षा करने के बावजूद, भूमि पर उनके संवैधानिक रूप से संरक्षित दावों से बलपूर्वक बेदखल करने के प्राथमिक प्रोत्साहन में से एक है। जैसा कि इस फैक्ट फाइंडिंग टीम द्वारा सर्वेक्षण किया गया है, वैकल्पिक रोजगार और पुनर्वास के वादे प्रारंभिक ब्लॉकों में खनन के चरण 1 की शुरुआत के समय विज्ञापित किए गए वादे के कहीं भी करीब नहीं हैं।

चित्र: कांता बेसन के विस्थापन कॉलोनी आज सुनसान है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश विस्थापित लोग कागजों पर 'अप्राप्त' हो गए हैं, जबकि कांता बसन में कुछ परिवारों को ₹40 लाख एकमुश्त भुगतान और 350 वर्ग फुट के सिंगल-बेडरूम फ्लैट के रूप में मिला मुआवजा अपर्याप्त है। खनन से संबंधित विस्थापन के बाद उनके जीवन के पुनर्निर्माण के लिए वैकल्पिक व्यवसायों में उनका पुनर्वास करना और आय के सुरक्षित स्रोत सुनिश्चित करना। अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा प्रभावित गांवों में प्राथमिक विद्यालयों और अस्पतालों के निर्माण जैसे सामाजिक विनिर्माण में निवेश करने के वादे भी तोड़ दिए गए हैं। जैसा कि हमने गांवों का सर्वेक्षण किया, ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ सौर ऊर्जा से संचालित स्ट्रीट लैंप और सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अदानी एंटरप्राइजेज लोगो के साथ पुनः ब्रांड किया जा रहा है। हरिहरपुर निवासियों ने आरोप लगाया कि इन कंपनी-प्रशासित स्कूलों में

कुछ आदिवासी छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। यह खनन शुरू होने के समय कागजों पर की गई प्रतिबद्धताओं से बहुत कम है।

फैक्ट-फाइंडिंग टीम हसदेव में चल रहे लोगों के प्रतिरोध के लिए अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के कार्यों को जिम्मेदार मानती है, जिसने एक दशक की परीक्षण परिस्थितियों में काफी लचीलापन दिखाया है।

केंद्र और राज्य स्तर पर कई सत्ता परिवर्तित हो गए लेकिन HABSS और हसदेव के लोगों द्वारा उठाए गए मुद्दों का लोकतांत्रिक समाधान प्रदान करने में सभी विफल रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों, जैसे कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 और पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 का उल्लंघन अडानी के नेतृत्व वाले समूह के वित्तीय हितों से प्रेरित है।

पारिस्थितिकी और आजीविका की सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों का संघर्ष जारी रहना आम लोगों की अपने तात्कालिक व्यक्तिगत हितों से परे सार्वभौमिक उद्देश्यों के लिए एक साथ आने की शक्ति का प्रमाण है। वाणिज्यिक कोयले के लिए पहचाने गए 23 कोयला क्षेत्रों के एक ब्लॉक तक सीमित खनन करने में उनका दृढ़ संकल्प सामने आता है। जैसा कि घाटबर्रा की एक बुजुर्ग निवासी नंदई कुमारी पोर्ते ने व्यक्त किया कि "कंपनी बांधे अपना बोरिया-बिस्तर, लोहा-लक्कड़ चले जय अपना देस... नहीं जाएगा तो काटेंगे उसके पीछे। हम हैं आदिवासी, मारेंगे चार लाठी।"

सवाल यह है कि नंदई और नंदई जैसी अन्य कब तक अपनी जमीन पर टिके रह पाएंगे, यह राजनीतिक रूप से बंद नहीं है, बल्कि अनिश्चित है। यह कॉरपोरेट सत्ता, जिनका आज भारत में बेलगाम प्रभुत्व है, से जूझ रही, ये लोग विभिन्न लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी ताकतों से मिलने वाले समर्थन पर निर्भर है। यह प्रत्येक पाठक से हसदेव अरण्य के आदिवासी निवासियों द्वारा थामे प्रतिरोध की मशाल को थामने और उस प्रतिरोध में रचनात्मक रूप से संलग्न होने का आह्वान करता है। यह उस तात्कालिकता की भावना के साथ कार्य करने का अनुरोध है जिसकी वर्तमान वैश्विक पारिस्थितिक संकट हममें से प्रत्येक से मांग रही है।

परिशिष्ट क: क्रोनोलॉजी समझिए

2005

- छत्तीसगढ़ विधान सभा ने 450 वर्ग किलोमीटर के हसदेव अरंड वन क्षेत्र को लेमरू हाथी रिजर्व में बदलने का प्रस्ताव सर्व-सहमति से पारित किया।

2007

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तनर्त मंत्रालय (MoEFCC) ने लेमरू हाथी रिजर्व के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- परसा कांता कोलियरीज लिमि टेड (PKCL) का गठन किया गया: जिसमे अदानी एंटरप्राइज लिमि टेड(AEL: 74%) और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RRUVNL: 26%) के बीच उनकी दो थर्मलर्म पावर परियोजना—छाबरा फेस 2 एवम झालावाड़ प्रोजेक्ट के बीच सयंकुत उद्यम की पहल की गई।

2008

- 5 फरवरी, 2008: भारतीय उद्योग परिसघं के राज्य प्रमखु ने वन विभाग को पत्र लिखकर बताया की प्रस्तावित लेमरू अभ्यारण्य से हर साल कम से कम 4 करोड़ टन कोयला उत्पादन अवरुद्ध होगा इसीलिए अभ्यारण्य को किसी और जगह स्थानांतरित किया जाए। वन विभाग ने उस पत्र के बाद पहले रिजर्व के छेत्रफल को कम किया और फिर बिना किसी सार्वजर्वनिक घोषणा के परूा प्रस्ताव ही खारिज कर दि या।
- खनन विकसित करने का सब कॉन्ट्रैक्ट अदानी खनिज प्राइवेट लिमिटेड (AEL की पर्णूस्वामित्व वाली सहायक कंपनी) को दिया गया। अदानी ने बारां प्लांट में इंडोनेशियन खदानों से आयातित कोयला का उपयोग करके राजस्थान डिस्कॉम के साथ बिजली उत्पादन के छेत्र में प्रवेश किया।

2010

- कोयला मंत्रालय एवं MoEFCC ने पूरे हसदेव अरंड छेत्र को कोयला खनन के लिए 'नो गो' जोन घोषित किया।

2011

- 20-21 जनू, 2011: MoEFCC की वन सलाहकार समिति (FAC) ने छत्तीसगढ़ के सरगजुा जिले में 1,898 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्सनर्स के बारे में चर्चा की और सझुाव को खारिज किया।
- 23 जनू, 2011: पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने FAC के सझुावों को खारिज कर PEKB चरण 1 (762 हेक्टेयर) को खनन के लिए वन मंजूरी प्रदान की।

2012

- 15 मार्च 2012: PEKB चरण 2 को मजंरूी प्रदान की गई।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में मजंरूी के खिलाफ याचिका दायर की गई।

2013

- AEL की सहायक कंपनी को RRVUNL और छत्तीसगढ़ एवम ओडिशा के तीन ब्लॉक में खदान डवेलपर और संचालक नियुक्त किया गया।
- 2013-14: अदानी का सब कॉन्ट्रैक्ट 30 वर्षों के लिए बढ़ाया गया जिससे ऑपरेशन को 1 करोड़ टन कोयला निकालने और आपर्तिूर्ति करने की अनमुति मिली और काम शुरू किया गया।
- सितंबर, 2013: घाटबर्रा सहित 24 सामदुायिक वन-अधिकार (CFR) के दावों को पहचाना गया।

2014

- जनवरी, 2014: छत्तीसगढ़ के सालही गांव में हसदेव खनन प्रोजेक्ट के खिलाफ जनसभा का आयोजन किया गया।
- 24 मार्च 2014: NGT ने याचिका पे अमल करते हुए वन मंजूरी रद्द कर PEKB में खनन कार्यों पर रोकलगा दी। भारतीय वन्यजीव ससं्थान (WII) और भारतीय वानि की अनुसंधान एवम शिक्षा परिषद (ICFRE) को हसदेव अरंड क्षेत्र की जैव विविधता और स्थानिक प्रजातियों पर अध्यन करने और उसके पारिस्थितिक सरंक्षण मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए। इसी माह हरिहरपुर गांव में परसा कोयला खदान की जनसनुवाई के विरोध में प्रदर्शन भी किया गया।
- अप्रलै, 2014: सप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय के अगले नोटिस तक PEKB के सबंधं में NGT के फैसलेपर रोक लगाकर खनन फिर से शुरू करने की अनमुति दी।
- मई-जनू, 2014: गांव-गांव में हसदेव अरंड बचाओ जन-आंदोलन निकाले गए जिसका समापन मोरगा गांव में एक सम्मेलन के साथ हुआ।
- 24 सितंबर, 2014: एक अलग मकुदमे में सप्रीम कोर्ट ने PEKB खदान सहित कई और कोयला खदानों का

आवटंन रद्द कर दिया। कोर्ट ने PCKL जसै कई और संयुक्त उद्यम भी गैरकाननूी घोषित किए।

- 24 दिसबंर, 2014: केंद्र सरकार ने कोयला की खनन के लिए 90 ब्लॉकों में वन और भूमि के नीलामी के आदेश जारी किए।
- 16 गांव में हसदेव अरंड क्षेत्र में प्रस्तावित कोयला खदान के खिलाफ ग्राम सभा आयोजित की गई।

2015

- मार्च, 2015: मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कोयला खदान (विशषे प्रावधान) अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि कोयला ब्लॉकों को निजी कंपनियों को फिर से नीलाम करने या सरकारी सस्थाओं को आवंटित करने की अनमुति मिल सके। एक बार फिर RRVUNL को PEKB ब्लॉक आवंटित किया, जिसने उस संयुक्त उद्यम को MDO के रूप में नियुक्त किया। परसा और कांता एक्सटेंशन जसै अन्य ब्लॉक भी अडानी को दिए गए। अदानी से जुड़ी सहायक कंपनियां इस संशोधन की एकमात्र लाभार्थी रहीं।
- मई, 2015: हसदेव क्षेत्र में कोयला ब्लॉक आवटंन के खिलाफ कोरबा में जमके विरोध प्रदर्शन और CFR लागू करने की मांग की गई।

2016

- मार्च, 2016: स्थानीय जिला प्रशासन ने घाटबर्रा का CFR निरस्त किया। ग्राम सभा ने छत्तीसगढ हाई कोर्ट में इस निर्णयर्ण के खिलाफ याचिका दर्ज की क्योंकि काननू में इस तरह के रद्दीकरण का कोई भी प्रावधान नहीं है। मुकदद्मा अभी भी जारी है। अंबिकापुर में विरोध प्रदर्शन हुआ।
- जनू, 2016: मदनपुर में पर्यावरण दिवस के दिन कार्यक्रर्यम आयोजित हुआ जिसका विषय 'स्वराज और पर्यावरण सरंक्षण में ग्राम सभा की भमिूमिका' रखा गया।

2017

- फरवरी, 2017: पोड़ी उपरोड़ा में FRA 2006 के उल्लघंन और कार्यान्वयन न करने के विरुद्ध रैली एवम विरोध प्रदर्शनर्श किए गए।
- सितंबर, 2017: उदयपुर में PESA और FRA काननू के उल्लघंन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनर्श।

2018

- 25 जनवरी, 2018: FAC ने PEKB प्रोजेक्ट पे फिर से चर्चा की, और चूंकि खनन पहले ही हो चकुा है, उन्होंने इसे निस्पन्न कार्य घोषित किया।
- फरवरी, 2018: हसदेव के सारे कोयला ब्लॉकों को निरस्त करने की मांग करने के लिए मोरगा में आमसभा और रैली आयोजित हुई।
- अगस्त, 2018: FAC ने उत्पादन क्षमता 10 से 15 MTPA बढ़ाने की अनमुति दी।
- WII और ICFRE द्वारा अध्यन किए गए।

2019

- 15 जनवरी, 2019: MoEFCC ने परसा कोयला ब्लॉक में खनन को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।
- 13 फरवरी, 2019: परसा कोयला खदान को स्टेज 1 वन मंजूरी दी गई।
- फरवरी, 2019: मोरगा में ग्राम सभा का आयोजन किया गया।
- मार्च, 2019: परसा कोयला खदान के फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव को रद्द करने के लिए हरिहरपुर से उदयपुर तक पदयात्रा निकाली गई।
- जून, 2019: अदानी की प्रस्तावित पारसा खदान के विरोध में आदिवासी लोगों के प्रति एकजटुता दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया।
- 12 जलुाई, 2019: परसा कोयला खदान को 5 MTPA पर संचालित करने के लिए पर्यावरण मंजूरी दी गई।
- अक्टूबर - दिसबंर, 2019: परसा कोयला खदान को फर्जी ग्राम सभा दस्तावेज और गैर गैरकानूनी भूमि आदिग्रहण कार्यवर्याही के द्वारा मिली पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ फतेहपुर गांव में 75 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया गया।
- नवम्बर, 2019: फतेहपुर विरोध स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रर्यमों के साथ दिवाली का जश्न मनाया गया। सप्रीम कोर्ट के द्वारा परसा कोयला ब्लॉक के लिए हसदेव अरंड में RRVUNL को दी गई खनन मंजूरी को चनुौती देनेवाली एक जनहित याचिका (PIL) स्वीकार की गई। HABSS सहित कई और सगं ठन याचिकाओं के समूह में शामिल हुए।

2020

- दिसंबर, 2020: विभिन्न धाराओं पर कई अदालतों में विचाराधीन होने के बावजदू भी छत्तीसगढ पर्यावरण सरंक्षण बोर्ड (CPCB) ने परसा कोयला खदान को औपचारिक सहमित दी।

2021

- WII और ICFRE के द्वारा किए गए अध्यन सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए।
- 2-14 अक्टूबर, 2021: HABSS ने मदनपुर से रायपुर तक 300 किलोमीटर पदयात्रा निकाली।
- पदयात्रा के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा गया। रैली और ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शनकारियों ने राज्यपाल अनुसुइया उईके के साथ बठैक कर फर्जी ग्राम सभा दस्तावेज और परसा कोयला ब्लॉक वन मंजूरी पर जांच की मांग रखी।
- 21 अक्टूबर, 2021: परसा कोयला खदान को स्टेज 2 वन मंजूरी प्रदान की गई।
- नवम्बर, 2021: पावर प्रोड्यूसर्स सगंठन ने कोयला मंत्रालय को दो कोयला ब्लॉकों की नीलामी खोलने के लिए पत्र लिखा: एक, मध्य प्रदेश के सिगंरौली कोयला क्षेत्र में अदानी समहू द्वारा मार्च 2022 में अधिग्रहण किए गए एक थर्मल पावर प्लांट के करीब, और दसूरा, पेंड्राखी, हसदेव अरंड जंगलों में (AEL द्वारा खनन किए गए ब्लॉकों के निकट)।
- दिसंबर, 2021: शहीद वीर नारायण सिहं दिवस मनाने के लिए मदनपुर गांव में सम्मेलन का आयोजन किया गया।

2022

- फ़रवरी, 2022: MoEFCC ने PEKB फेस 2 खनन परियोजना को पर्यावरण और वन मंजूरी दी।
- मार्च, 2022: छत्तीसगढ़ सरकार ने PEKB चरण 2 को हरिहरपुर के कोयला ब्लॉकों में विस्तार के लिए मंज़ूरी प्रदान की। वन मंज़ूरी और भूमि आदिग्रहण रद्द करने की मांग को लेकर HABSS ने अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
- 6 अप्रलै, 2022: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने वन (सरंक्षण) अधिनियम की धारा 2 के तहत परसा कोयला खदान को वन मंज़ूरी के लिए अतिंम आदेश जारी किया।
- जून, 2022: विरोध प्रदर्शन के चलते हुए बीच अगस्त में खनन को अस्थाई रूप से रोक दिया गया।
- 26 जलुाई, 2022: हसदेव जन आंदोलन ने छत्तीसगढ़ विधान सभा को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव (कांग्रेस और भाजपा द्वारा समर्थित) पारित करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार से हसदेव अरण्य में सभी कोयला ब्लॉक रद्द करने की मांग की गई। 2,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को खनन- मुक्त लेमरू हाथी रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया।
- 26 सितंबर, 2022: PEKB फेस 2 खनन के लिए 43 एकड़ वनभूमि में पेड़ो की कटाई हुई और जमीन कोखाली किया गया।

2023

- 12 जलुाई, 2023: MoEFCC ने PEKB को 15 से 21 MTPA तक विस्तार के लिए मंज़ूरी दी।
- 21 दिसंबर, 2023: विष्णु साई देव की भाजपा सरकार के राज्य में आनेके एक हफ्ते के भीतर ही PEKB फेस 2 में 91 एकड़ वन-भूमि में पेड़ों की कटाई हुई।
- 28 दिसंबर, 2023: हसदेव वनों के विनाश के खिलाफ रायपुर में नागरिक प्रतिरोध मार्च आयोजित किया गया। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर 7 जनवरी को हसदेव चलो मार्च का आह्वान भी किया गया।

2024

- 7 जनवरी, 2024: भारी राज्यव्यापी पुलिस तनैाती के कारण हसदेव चलो मार्च बाधित हुआ। SKM के किसान नेताओं ने सघंर्ष में एकजटुता दिखाई।
- 8 फरवरी, 2024: पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाने पर 30 विपक्षी विधायकों को छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा से निलबिंबित कर दिया गया।
- 26 फरवरी, 2024: छत्तीसगढ़ में चल रहे विविध विस्थापन-विरोधी संघर्ष समितिओं द्वारा 'रायपुर चलो' आह्वान के साथ विधान सभा घेराव का निर्णय लिया गया।

परिशिष्ट ख: नोट्स

1. Kerketta, J. 2021. *ईश्वर और बाजार.* New Delhi: Rajkamal.
2. Al Jazeera. 2023. 'Modi govt allowed Adani coal deals it knew were 'inappropriate''. S. Jalihal and K. Sambhav for *Al Jazeera*.
3. Business Standard. 2015. 'Only 35 of 793 coal blocks remain inviolate after dilution of policy'. *Business Standard.*
4. CPR. 2016. *Closing the Enforcement Gap: Groundtruthing of Environmental Violations in Sarguja, Chhattisgarh.* Centre for Policy Research.
5. DTE. 2020. 'Black Business'. I. Kukreti, K. Pandey, S. Ramanathan & S. Arora for *Down to Eart*h, 16-20 August 2020.
6. DTE. 2022. 'Chhattisgarh Assembly passes resolution against Hasdeo coal mining'. *Down to Earth.*
7. Gokhale, N. 2022. 'How a massive Adani coal project in India's Hasdeo forests overcame all obstacles'. *Adani Watch.*
8. Gupta, P., Roy-Chowdhury, A. 2017. Harnessing Gram Sabhas to Challenge State Profligacy in Chhattisgarh. *Economic and Political Weekly*, 52(48), 58–63.
9. HABSS. 2014. *Perspective document on Coal Mining in Hasdeo Arand region*. Hasdeo Aranya Bachao Sangharsh Samiti.
10. HT. 2023. 'Chhattisgarh: 40 coal blocks in Lemru reserve not to be mined, says Coal ministry'. *Hindustan Times.*
11. ICFRE. 2014. *Biodiversity study in the entire Hasdeo-Arand Coalfield comprising of Tara, Parsa, Parsa East & Kanta Basan and Kente Extension coal blocks in Chhattisgarh.* Dehradun: Indian Council of Forestry Research and Education.
12. India Today. 2014. 'Black gold, Green Signal'. India Today, 8 September 2014.
13. Jalihal, S. 2023. 'Advantage Adani: Power industry lobbies, coal ministry unlocks dense forests for mining'. *Reporters Collective.*
14. Kohli, K. 2016. 'Mining is in the Way of Adivasi Forest Rights, Not the Other Way Round'. *The Wire.*
15. MoEFCC. 2010. 'F. No. 8-31/2010-FC'. *Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.*
16. MoEFCC. 2018a. 'Minutes of Meeting of Forest Advisory Committee held on 25th January, 2018'. *Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.*
17. MoEFCC. 2018b. 'Proposal for diversion of 841.538 hectares of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act. 1980 for the proposed Parsa Open Cast Mine (5MTPA) in favour of M/s. Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited (RRVUNL), in Surguja and Surajpur Districts in the State of Chhattisgarh (F. No. 8-36/2018-FC)'. *Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India.*
18. NGT. 2014. Judgement in Sudiep Srivastava versus State of Chhattisgarh & Ors., Appeal No. 73/2012. *National Green Tribunal.*
19. Oxfam. 2022. *Carbon Billionaires: The investment emissions of the world's richest people.*
20. RS. 2023. Unstarred Question No. 2921 to Shri Pralhad Joshi dated 27 March 2023. *Rajya Sabha.*
21. SC. 2014. Judgement in Manohar Lal Sharma versus the Principal Secretary & Ors., Writ Petition No. 120/2012. *Supreme Court of India.*
22. Scroll. 2022. 'Investigation: Adani power stations get coal from Hasdeo Arand mine allocated to Rajasthan'. A. Saikia for *Scroll*.
23. TOI. 2011. 'Chhattisgarh govt scraps elephant reserve plan for coal mining'. *Times of India.*
24. WII. 2021. *Biodiversity assessment with emphasis on select faunal groups in the Hasdeo Arand Coal Field, Chhattisgarh.* Dehradun: Wildlife Institute of India.

क्या आप को हसदेव की आवाज़ें सुनाई दे रही है?

जहाँ भारत के सबसे बड़े घने जंगलों को काटा जा रहा है

जिसे हज़ारों लुप्तप्राय और असुरक्षित प्रजातियां अपना घर कहते है

जंगल और जीविका बचाने के लिए आदिवासी समाज संघर्षरत है

एशिया के सबसे बड़े अरबपति द्वारा नियंत्रित अडानी ग्रुप और उनके कुछ खास मित्रों के खिलाफ़, पिछले एक दशक से लम्बा चल रहा है यह जन आंदोलन।

कलेक्टिव

collective-india.com

कलेक्टिव द्वारा नई दिल्ली से प्रकाशित।